घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com **अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 309- शुक्रवार 11- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये** RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

संक्षिप्त समाचार

महिला के पेट से निकली 25 सेंटीमीटर का पेन और मोमबत्ती डॉक्टर भी रह गए हैरान...

आंध्र प्रदेश,10 सितम्बर 2026। आंध्र प्रदेश के नरसारावपेट से एक बेहद असामान्य मेडिकल मामला सामने आया है। यहां पेट दर्द की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंची एक महिला के पेट में डॉक्टरों को ऐसी कई वस्तुएं मिलीं,जिन्हें देखकर मेडिकल टीम भी हैरान रह गई। जांच के दौरान उसके पेट से 13 पेन,पांच लकड़ी के चम्मच और एक मोमबत्ती निकाली गई। बताया गया कि इनमें एक करीब 25 सेंटीमीटर लंबा पेन भी शामिल था,जिससे महिला को गंभीर अंदरूनी चोट पहुंची थी। महिला को पेट में दर्द की शिकायत थी। शुरुआत में डॉक्टरों को मामला सामान्य लगा, लेकिन विस्तृत जांच के दौरान स्थिति अलग निकली। अस्पताल में पहले ईसीजी कराया गया, जिसकी रिपोर्ट सामान्य बताई गई। इसके बाद एंडोस्कोपी की गई। इसमें डॉक्टरों को पेट के अंदर कुछ लंबी और लकड़ी जैसी वस्तुएं दिखाई दीं। स्थिति की वास्तविकता जानने के लिए डॉक्टरों ने सीटी स्कैन कराया। स्कैन में पेट के भीतर कई बाहरी वस्तुओं की मौजूदगी की पुष्टि हुई। इसके बाद मेडिकल टीम ने बिना देरी किए उन्हें निकालने का फैसला किया।

रेलवे टेंडर घोटाला...लालू यादव,राबड़ी और तेजस्वी समेत 9 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप तय

नई दिल्ली,10 सितम्बर 2026। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने रेलवे टेंडर घोटाला के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव,राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत नौ आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर दिया है। स्पेशल जज विशाल गोगने ने आरोप तय करने का आदेश दिया। कोर्ट ने लालू यादव के दामाद राहुल यादव समेत सात लोगों को बरी करने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने इन तीनों के अलावा जिनके खिलाफ आरोप तय किया है,उनमें लारा प्रोजेक्ट्स,सरला गुप्ता,प्रेमचंद गुप्ता,सुजाता होटल्स,विनय कोचर और विजय कोचर शामिल हैं। कोर्ट ने जिन लोगों को बरी करने का आदेश दिया है उनमें राहुल यादव,गौरव गुप्ता,नाथ मल कंकर्निया,विजय त्रिपाठी,डीएन तुलस्यान, राजीव रेलान और अभिषेक फाइनेंस शामिल हैं। कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 28 जनवरी 2019 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज केस में लालू यादव,राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को नियमित जमानत दी थी।

पैकेटबंद फूड पर चेतावनी लेबल सुप्रीम कोर्ट जल्द जारी करेगा विस्तृत दिशा-निर्देश,बच्चों की सेहत को बताया राष्ट्रीय हित का मुद्दा...

नई दिल्ली,10 सितम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के स्वास्थ्य,विशेषकर बढ़ते बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जताते हुए अधिक नमक,चीनी और वसा वाले पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर स्पष्ट चेतावनी लगाने के मुद्दे पर सभी संबंधित पक्षों से राष्ट्रीय हित में विचार करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने संकेत दिया कि इस गंभीर विषय पर विस्तृत आदेश जल्द जारी किया जाएगा। न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ सार्वजनिक धर्मार्थ संस्था '3एस एंड आवर हेल्थ सोसाइटी' की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि वह मामले में सभी पक्षों से आवश्यक जानकारी लेने के बाद विस्तृत आदेश पारित करेगी। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, हमें सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है,खासकर बढ़ते बच्चों की। हम चाहते हैं कि सभी संबंधित लोग देश के हित में इस मामले पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि मामले से संबंधित आदेश एक-दो दिन में उपलब्ध करा दिया जाएगा। पीठ ने सभी पक्षों को आदेश का अध्ययन करने के लिए भी कहा। पीठ ने भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण से पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर दी जाने वाली पोषण संबंधी जानकारी के बारे में भी स्पष्टीकरण मांगा।

अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन में बोले...पीएम मोदी

'टकराव नहीं सहयोग से होगा बदलाव'

पीएम मोदी ने बताया इसरो का मिशन...2035 तक अपना स्पेस स्टेशन,2040 तक चंद्रमा पर भारतीय

नई दिल्ली,10 सितम्बर 2026। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी दुनिया के सामने भारत का अंतरिक्ष दृष्टिकोण रखा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अंतरिक्ष की संभावनाएं असीम हैं और इसे सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। आज जैसे-जैसे अंतरिक्ष की कक्षाएं उपग्रहों से भर रही हैं, तकनीकें अधिक शक्तिशाली हो रही हैं और कई नए देश व एजेंसियां इसमें शामिल हो रही हैं,वैसे-वैसे दुनिया के सामने चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे समय में हमारे फैसले बिल्कुल साफ होने चाहिए। हमें टकराव के बजाय सहयोग, थोड़े समय के फायदे के बजाय टिकाऊ विकास और किसी को बाहर करने के बजाय सबको साथ लेकर चलने का रास्ता चुनना होगा। भारत का अंतरिक्ष अभियान इसी सोच और सिद्धांत पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने स्पेस में भारत के भविष्य को लेकर कहा,पिछले साल, एक भारतीय ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा किया। आगे देखते हुए,हमारा लक्ष्य 2035 तक एक भारतीय स्पेस स्टेशन स्थापित करना और 2040 तक एक भारतीय को चंद्रमा पर भेजना है।'

वैश्विक मंच पर भारत ने दिया संदेश

पीएम मोदी ने समिट में कहा कि भारत का नजरिया 'वसुधैव कुटुंबकम' यानी एक पृथ्वी,एक परिवार,एक भविष्य के विचार से जुड़ा हुआ है और अब इस भावना को धरती से आगे अंतरिक्ष तक ले जाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों,बातचीत और आपसी सहयोग पर आधारित एक सुरक्षित,शांत और टिकाऊ अंतरिक्ष व्यवस्था का मजबूती से समर्थन करता है। पीएम ने जोर देकर कहा कि वैज्ञानिक आंकड़ों और जानकारियों को पूरी ईमानदारी तथा खुलेपन के साथ सभी लोगों की भलाई के लिए साझा किया जाना चाहिए। भारत का पूरा अंतरिक्ष सफर इसी लोक-कल्याणकारी सोच को दर्शाता है और इसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है।

इसरो की सफलता का राज क्या है और इसने दुनिया का भरोसा कैसे जीता? पीएम मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की वैश्विक उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि इसरो ने अपनी बेहतरीन और कम लागत वाली सटीक उड़ानों के दम पर पूरी दुनिया में जबरदस्त सम्मान कमाया है। इसरो की क्षमताएं सीधे तौर पर हमारे किसानों और मछुआरों के जीवन को आसान बना रही हैं। यह मौसम की भविष्यवाणी करने,आपदा प्रबंधन और सटीक दिशा-दूरी बताने (नेविगेशन) में लगातार देश और दुनिया की सेवा कर रहा है। भारत के भरोसेमंद रॉकेटों के जरिए अब तक 34 देशों के 430 से अधिक उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजे जा चुके हैं। इसरो की तकनीक और साझेदारियां केवल भारत ही नहीं,बल्कि समूचे विश्व के काम आ रही हैं। इस भरोसे के पीछे भारत के वैज्ञानिकों,इंजीनियरों और तकनीशियनों की पीढ़ियों की दिन-रात की कड़ी मेहनत और पसीना है, जिन्होंने एक-एक मिशन को सफल बनाकर भारत को दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष देशों की कतार में गर्व से खड़ा किया है।

डीके शिवकुमार सरकार का आदेश...

कर्नाटक के सरकारी कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के पहले दो छंद गाए जाएंगे

बेंगलुरु,10 सितम्बर 2026। कर्नाटक सरकार ने आदेश दिया है कि राज्य सरकार के कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के सिर्फ पहले दो छंद ही गाए जाएंगे। यह आदेश राज्य में होने वाले सरकारी कार्यक्रमों पर लागू होगा। लेकिन राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति,प्रधानमंत्री या गवर्नर के शामिल होने वाले कार्यक्रमों को इससे बाहर रखा गया है। यह फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पार्टी कार्यक्रम में वंदे मातरम के दो छंद गाने के प्रस्ताव के बाद आया है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अब पूरे राज्य में सरकारी कार्यक्रमों के लिए ऐसा ही तरीका अपनाया है। अपने आदेश में सरकार ने कहा कि वंदे मातरम ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्रवाद,एकता और देशभक्ति को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम के सरकारी संस्करण और अलग-अलग सरकारी और सार्वजनिक कार्यक्रमों में इसे गाते या बजाते समय अपनाए जाने वाले प्रोटोकॉल पर गाइडलाइन जारी की हैं। आदेश में कहा गया है कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन में गाने को वाद्ययंत्रों के साथ बजाने और इसे सामूहिक रूप से गाने के मौकों के बारे में अलग से बताया गया है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि उसने हर कार्यक्रम के प्रकृति और संदर्भ को ध्यान में रखते हुए आधिकारिक कार्यक्रम और सेरेमनी में वंदे मातरम गाने या बजाने के दौरान एक जैसापन,गरिमा और सही प्रोटोकॉल बनाए रखने की जरूरत पर विचार किया है। राज्य कैबिनेट के एक फैसले के बाद सरकार ने पूरे कर्नाटक में आधिकारिक कार्यक्रमों और समारोह में वंदे मातरम गाने और बजाने को नियंत्रित करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। आदेश के तहत राज्य सरकार के कार्यक्रमों में गाने के सिर्फ पहले दो हिस्से ही गाए जाने चाहिए। हालांकि,यह रोक राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, या राज्यपाल के शामिल होने वाले कार्यक्रम पर लागू नहीं होगी।

सीजेपी प्रदर्शन में बच्चे पर हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त

कहा...तुरंत कार्रवाई करें,कोई उसे डरा नहीं सकता

नई दिल्ली,10 सितम्बर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने विरोध-प्रदर्शन से जुड़े एक मामले में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को कथित तौर पर धमकाने,परेशान करने और उसके घर पर पत्थर फेंके जाने के आरोपों को गंभीरता से लिया है। शीर्ष अदालत ने मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी पीड़ित या उसके परिवार को आपराधिक मामले की कार्रवाई से पीछे हटने के लिए डराने-धमकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यह निर्देश दिया। मामला राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा से जुड़े छात्र विरोध-प्रदर्शन की कार्यवाही के दौरान अदालत के सामने उठाया गया। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह सुनिश्चित करें कि नाबालिग की ओर से दर्ज प्राथमिकी पर उचित और तत्काल कार्रवाई हो। साथ ही अदालत ने परिवार को पूरी पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने सुनवाई के दौरान कहा कि संसद मार्ग पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी में बदमाशों द्वारा धमकी देने,परेशान करने और डराने-धमकाने के गंभीर आरोप हैं। पीठ ने संबंधित प्राथमिकी पर तत्काल कार्रवाई कर इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा। सुनवाई के दौरान नाबालिग की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि हाल ही में एक व्यक्ति ने वीडियो में कथित तौर पर यह दावा किया था कि उसने विरोध-प्रदर्शन के दौरान लड़की के पिता पर हमला किया था। वकील के अनुसार, इस व्यक्ति की पहचान स्वतंत्र भारद्वाज के रूप में हुई और बाद में उसे गिरफ्तार कर हिरासत में भेज दिया गया। वकील ने अदालत को यह भी बताया कि लड़की के घर पर पथराव किए जाने के वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि मामले की जांच में समय लग सकता है, लेकिन यदि इस दौरान बच्ची के साथ किसी प्रकार की अप्रिय घटना होती है तो हुए नुकसान की भरपाई संभव नहीं होगी। वकील ने आरोप लगाया कि कथित रूप से उपद्रव करने वाले लोगों में से एक ने वीडियो में अपने कृत्य की बात स्वीकार की और उसका बखान भी किया। इसके बावजूद बच्ची के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने का दावा किया गया। वकील ने कहा कि यह शीर्ष अदालत के एक सितंबर के आदेश के भी विपरीत है। उन्होंने अदालत से नाबालिग और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा मामले में शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

भाजपा के 7 मोर्चा प्रभारी घोषित,इनमें 2 एमपी से

हरीश द्विवेदी को युवा,सतीश पूनिया को एसटी की जिम्मेदारी,डी. पुरंदेश्वरी महिला विंग संभालेंगी

नई दिल्ली,10 सितम्बर 2026। भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपने 7 प्रमुख मोर्चों के प्रभारियों की घोषणा की। पार्टी ने युवा, महिला,एससी,ओबीसी,किसान,एसटी और अल्पसंख्यक मोर्चों की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेताओं को सौंपी है। सात में से सबसे ज्यादा 2 प्रभारी मध्य प्रदेश से हैं। पार्टी के मुताबिक,हरीश द्विवेदी को युवा मोर्चा और डी. पुरंदेश्वरी को महिला मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। वहीं, सतीश पूनिया को एसटी मोर्चे की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने संजय भाटिया को एससी मोर्चा और वैजयंत पांडा को ओबीसी मोर्चे का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं, लाल सिंह आर्या को किसान मोर्चा और गजेंद्र पटेल को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है।

प्रभारी मोर्चों की कार्यकारिणी...टीम तैयार करेंगे...

ये सभी मोर्चों की कार्यकारिणी बनाने, प्रदेशों के प्रभारी तय करने और राज्यों में मोर्चे की टीम तैयार करने में मदद करेंगे। सभी मोर्चा प्रभारियों को संबंधित मोर्चा अध्यक्षों से बातचीत कर यह काम शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

मोर्चा प्रभारियों में राजस्थान-यूपी से एक-एक

- **हरीश द्विवेदी :** उत्तर प्रदेश के बस्ती से दो बार लोकसभा सांसद रहे। 2014 और 2019 में बस्ती से लोकसभा चुनाव जीते। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव रह चुके हैं।
- **डी. पुरंदेश्वरी :** आंध्र प्रदेश की वरिष्ठ बीजेपी नेता। कांग्रेस में भी रह चुकी हैं और केंद्रीय मंत्री के रूप में काम किया है। लोकसभा की दो बार सदस्य रही हैं। बीजेपी की आंध्र प्रदेश इकाई की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं।
- **सतीश पूनिया :** राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। आमेर से विधायक रहे और राजस्थान विधानसभा में डिप्टी लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहे। संगठन में लंबे समय से सक्रिय भूमिका।
- **संजय भाटिया :** हरियाणा के करनाल से 2019 में लोकसभा सांसद चुने गए। बीजेपी हरियाणा के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। 2026 में हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए।
- **बैजयंत पांडा :** ओडिशा के केंद्रापाड़ा से लोकसभा सांसद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। इससे पहले बीजेडी से राज्यसभा और लोकसभा सांसद रह चुके हैं। 2019 में बीजेपी में शामिल हुए।
- **लाल सिंह आर्या :** मध्य प्रदेश के गोहद से कई बार विधायक रहे। शिवराज सिंह चौहान सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी शेड्यू कास्ट मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं।
- **गजेंद्र सिंह पटेल:** मध्य प्रदेश के खरगोन से लोकसभा सांसद। 2019 और 2024 में खरगोन से लोकसभा चुनाव जीते। पेशे से कृषक और राजनीतिज्ञ हैं।

भारत का श्रीलंकाई वायुसेना के लिए एल-70 तोपों के उन्नयन पर समझौता

रक्षा मंत्री ने कहा...भारत-श्रीलंका की दोस्ती नई ऊंचाइयों को छुएगी

नई दिल्ली,10 सितम्बर 2026। श्रीलंका की तीन दिवसीय यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दौरे के आखिरी दिन श्रीलंकाई नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय साझेदारी के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा करते हुए व्यापक चर्चा की। श्रीलंकाई वायु सेना के लिए एल-70 तोपों के उन्नयन पर समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। साथ ही राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों और राष्ट्रीय कैडेट कोर के बीच शैक्षणिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। इस दौरे में श्रीलंका की प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या से मुलाकात में करीबी सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों से जुड़े कई मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। डिजिटलकैलेंडर चुनें रक्षा मंत्री एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ 08 सितंबर को श्रीलंका की तीन दिवसीय यात्रा पर गए थे। राजनाथ सिंह आज श्रीलंका के नुवारा एलिया जिले में मौजूद सीता अम्मन मंदिर भी गए,जहां पूजा-अर्चना की और आशीर्वाद मांगा। कोलंबो में पवित्र गंगारामया मंदिर जाने और भगवान बुद्ध का आशीर्वाद लेने का मौका मिला। इस दौरे में श्रीलंकाई वायुसेना के लिए एल-70 तोपों के उन्नयन पर समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। साथ ही राष्ट्रीय रक्षा कॉलेजों और राष्ट्रीय कैडेट कोर के बीच शैक्षणिक सहयोग पर भी चर्चा हुई। रक्षा मंत्री ने यात्रा के दूसरे दिन दित्वाह पुनर्वास के बाद 450 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से भारतीय सेना इंजीनियरों की टीम के बनाए कुरूनेगला और बट्टीकलोआ में तीन बेली पुलों का वर्चुअल उद्घाटन किया। श्रीलंकाई वायुसेना और श्रीलंकाई नौसेना को भी पुर्जों की आपूर्ति की गई। राजनाथ सिंह ने 'आपसी' और 'होलिस्टिक' ग्रोथ के लिए 'महासागर' के विजन पर जोर दिया और समुद्री सहयोग पर भारत-श्रीलंका के बीच लंबे समय से चली आ रही रक्षा और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने की इच्छा दोहराई। उन्होंने कहा कि श्रीलंका की मेरी यात्रा ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए भारत-श्रीलंका के बीच गतिशील और बहुआयामी संबंधों को और अधिक गति दी है।' यात्रा के दौरान आतिथ्य के लिए प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या और श्रीलंका सरकार को धन्यवाद देते हुए उन्होंने कहा कि श्रीलंका वाले समय में भारत-श्रीलंका की दोस्ती नई ऊंचाइयों को छुएगी। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के अपने दौरे के दौरान श्रीलंका के सीनियर मिलिट्री लीडरशिप से बातचीत करने का मौका मिला। उनमें से कई ने भारत में ट्रेनिंग ली है और भारत के साथ उनका गहरा रिश्ता है।' कोलंबो में श्रीलंका के क्रिकेट खिलाड़ियों अरविंद डी सिल्वा, सनथ जयसूर्या और चमिंडा वास से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनके शानदार प्रदर्शन के लिए भारत में लाखों लोग उनकी तारीफ करते हैं।

बिहार : एक-दूसरे को डूबने से बचाने के प्रयास में 5 की मौत,मरने वालों में एक ही परिवार के 4 सदस्य

भागलपुर,10 सितम्बर 2026। गंगा के लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण भागलपुर जिले में बाढ़ की स्थिति बेहद भयावह हो चुकी है। गुरुवार को बाईपास थाना क्षेत्र के कोयली खुटहा गांव में बाढ़ के गहरे पानी में डूबने से पांच लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद से पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रत्यक्षदर्शियों और ग्रामीणों के अनुसार, पीड़ित परिवार के सदस्य अपने खेत की ओर जा रहे थे। बाढ़ के कारण सड़क पूरी तरह जलमग्न थी। इसी दौरान पैर फिसलने या गहराई का अंदाजा न मिलने के कारण परिवार का एक सदस्य गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे बचाने के लिए बाकी लोग भी एक-दूसरे का हाथ पकड़ कर पानी में उतर गए। देखते ही देखते, एक-दूसरे को बचाने की कोशिश में पांचों लोग गहरे पानी की चपेट में आ गए और डूब गए। स्थानीय ग्रामीणों ने बिना वक्त गंवाए तत्परता दिखाई और भारी मशक्कत के बाद सभी को पानी से बाहर निकाला। आनन-फानन में सभी को मायागंज अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने पांचों लोगों को मृत घोषित कर दिया।

मध्य प्रदेश : सागर शराबकांड के तीन आरोपितों के पांच मकानों पर चला बुलडोजर

सागर,10 सितम्बर 2026। मध्य प्रदेश के सागर जिले में बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में प्रशासन ने गुरुवार को आरोपितों की संपत्तियों पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने बंडा के वार्ड नंबर 11 और 12 में तीन आरोपितों से जुड़े पांच मकानों के कथित अवैध निर्माणों को बुलडोजर से हटाया। कार्रवाई के दौरान तीन जेसीबी मशीनें और भारी पुलिस बल तैनात रहा। डिजिटलकैलेंडर चुनें प्रशासन के अनुसार, कार्रवाई मुख्य आरोपी बताए जा रहे चंद्रभान सिंह राजपूत उर्फ चंदू,आशीष साहू और मनीष लोधी से जुड़े निर्माणों पर की गई। कुल पांच मकानों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन की टीम सबसे पहले चंद्रभान सिंह राजपूत के मकान पर पहुंची। इसके बाद आशीष साहू और मनीष लोधी से जुड़े मकानों पर भी कार्रवाई की गई। प्रशासन का कहना है कि राजस्व रिकॉर्ड और जांच के आधार पर चिह्नित किए गए कथित अवैध निर्माणों और अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आशीष साहू के एक मकान को पूरी तरह गिरा दिया गया है। मनीष लोधी से जुड़े तीन मकानों में भी कथित अवैध हिस्से हटाए गए। कार्रवाई के दौरान परिवार के सदस्यों और सुरक्षाकर्मियों के बीच बहस की स्थिति भी बनी। एसडीएम संजय जैन के अनुसार,मुख्यमंत्री के निर्देश और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत अवैध शराब कारोबार से जुड़े आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण, अनाधिकृत निर्माण और कृषि भूमि पर कब्जे की शिकायतों की जांच की जा रही है। एसडीएम के मुताबिक सिमरिया गांव में भी कृषि भूमि पर अनाधिकृत कब्जे की जानकारी मिली है। वहां शाहगढ़ तहसीलदार के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। अन्य आरोपियों की संपत्तियों की भी जांच की जा रही है और रिकॉर्ड में अनियमितता मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बंडा-शाहगढ़ क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से मौतों को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। ताजा रिपोर्टों में 28 मौतों का दावा किया गया है,जबकि प्रशासन की ओर से 15 मौतों की पुष्टि की गई है। कई मरीजों के अस्पतालों में उपचाररत होने की भी जानकारी है। मामले में मौतों की वास्तविक संख्या और कारणों को लेकर जांच जारी है। पोस्टमार्टम और चिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर मौतों की वजह की पुष्टि की जा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार 12 मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेथनॉल विषाक्तता सामने आने की बात कही गई है।

संपादकीय

सड़कें गड्ढों में नहीं,व्यवस्था की जवाबदेही में फंसी हैं...

सरगुजा की सड़कें इन दिनों केवल राहगीरों की परीक्षा नहीं ले रहीं,बल्कि व्यवस्था की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। सड़क पर गड्ढा होना सामान्य बात हो सकती है,लेकिन एक ही सड़क का बार-बार टूटना,बारिश आते ही सड़क का गड्ढों में बदल जाना और मरम्मत के नाम पर कुछ दिनों के लिए खानापूर्ति कर देना सामान्य नहीं कहा जा सकता। यह सीधे तौर पर निर्माण की गुणवत्ता,रखरखाव की व्यवस्था और जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया पर सवाल है।

अंबिकापुर की एमजी रोड,खरसिया रोड की बदहाली हो या राष्ट्रीय राजमार्ग के कई हिस्सों की हालत,पिछले कुछ सप्ताह की खबरें बताती हैं कि समस्या केवल एक सड़क या एक विभाग तक सीमित नहीं है। शहर के भीतर भी सड़कें परेशान कर रही हैं और शहर से बाहर जाने वाले प्रमुख मार्ग भी। अगस्त में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने गड्ढों में भरे पानी के बीच प्रदर्शन किया। कहीं लोग सड़क पर बैठ गए,कहीं अनोखे तरीके से विरोध किया गया। सीतापुर क्षेत्र में एनएच-43 की खराब सड़क को लेकर चक्काजाम तक की स्थिति बनी। सितंबर की शुरुआत में इसी मार्ग पर गहरे गड्ढे में एंबुलेंस फंसने की खबर ने समस्या की गंभीरता और बढ़ा दी।

सवाल यह है कि आखिर सड़कें इतनी खराब होने के बाद ही व्यवस्था क्यों जागती है? जून में लोक निर्माण विभाग के सचिव ने अंबिकापुर में समीक्षा के दौरान बारिश से पहले सड़क मरम्मत और गड्ढा भराई को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए थे। गुणवत्ता और समय-सीमा पर भी जोर दिया गया था। इसके बावजूद बारिश के दौरान वही सड़कें लोगों के लिए परेशानी का कारण बनीं। इसका अर्थ यह नहीं कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, बल्कि सवाल यह है कि निर्देशों का असर जमीन पर स्थायी क्यों नहीं दिखता?

और यही वह बिंदु है जहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए...

सड़क खराब होने पर सबसे पहले संबंधित विभाग सामने आता है। लेकिन सड़क की हालत के लिए केवल विभागीय अधिकारी को जिम्मेदार ठहराना भी पर्याप्त नहीं होगा। निर्माण एजेंसी कौन थी? ठेका किस शर्त पर दिया गया था? सड़क की डिजाइन और ड्रेनेज व्यवस्था कैसी थी? गुणवत्ता परीक्षण किस स्तर पर हुआ? रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी थी? गड्ढे बनने के बाद शिकायत मिलने पर कितने समय में मरम्मत की जानी थी? इन सवालों के जवाब सार्वजनिक होने चाहिए। यदि किसी सड़क की उम्र कई वर्ष निर्धारित है और वह उससे पहले ही उखड़ जाती है तो केवल नई मरम्मत कर देना समाधान नहीं है। यह भी देखना होगा कि पुरानी सड़क क्यों विफल हुई। कहीं घटिया सामग्री तो नहीं लगी? कहीं जल निकासी की व्यवस्था की अनदेखी तो नहीं हुई? कहीं सड़क निर्माण के बाद दूसरी एजेंसियों द्वारा बार-बार सड़क खोदने और उसे ठीक ढंग से बहाल नहीं करने की समस्या तो नहीं है?

सरगुजा में सड़क सुधार को केवल गड्ढा भराई अभियान बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता। गड्ढे में गिट्टी डालकर रोलर चला देना तत्काल राहत हो सकती है, स्थायी समाधान नहीं। हाल में एनएच पर मशीनें लगाकर गड्ढे भरने का काम शुरू हुआ, जो स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल यह है कि अगले मानसून में फिर वही स्थिति न बने, इसकी गारंटी कौन देगा?

सड़क केवल आवागमन का माध्यम नहीं है। यह अस्पताल तक पहुंचने वाले मरीज का रास्ता है,स्कूल जाने वाले बच्चे का रास्ता है, किसान की उपज बाजार तक पहुंचाने का रास्ता है और व्यापार की जीवनरेखा है। जब सड़क खराब होती है तो केवल वाहन नहीं टूटते, लोगों का समय,पैसा और भरोसा भी टूटता है। एंबुलेंस का गड्ढे में फंसना इस समस्या को और गंभीर बना देता है।

इसलिए अब सरगुजा को केवल सड़क मरम्मत नहीं, जवाबदेही की मरम्मत चाहिए...

प्रशासन को जिले की प्रमुख सड़कों का तकनीकी ऑडिट कराना चाहिए। सड़कवार यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए कि किस सड़क का निर्माण कब हुआ,कितनी लागत आई, ठेकेदार कौन था,रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है और उसकी निर्धारित आयु कितनी है। जहां सड़क समय से पहले खराब हुई है,वहां केवल सरकारी पैसे से दोबारा निर्माण करने के बजाय जिम्मेदार एजेंसी से जवाब मांगा जाना चाहिए। गुणवत्ता में गंभीर कमी मिलने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए।

जनता को भी यह जानने का अधिकार है कि सड़क के लिए स्वीकृत राशि कहां खर्च हुई और परिणाम क्या निकला।

राजनीतिक दल सड़क की बदहाली को मुद्दा बनाएं,सामाजिक संगठन प्रदर्शन करें और मीडिया लगातार सवाल उठाए–यह लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन सड़क का समाधान तभी होगा जब आंदोलन के बाद मशीनें सड़क पर आने के साथ-साथ व्यवस्था में स्थायी निगरानी भी आए। सरगुजा को ऐसी सड़कें चाहिए जिनकी खबर उद्घाटन के दिन बने और मरम्मत के दिन नहीं। ऐसी सड़कें चाहिए जिनकी गुणवत्ता बारिश के बाद साबित हो,बारिश के दौरान नहीं परखी जाए। गड्ढे भरना जरूरी है,लेकिन उससे भी जरूरी है वह व्यवस्था सुधारना जिसके कारण गड्ढे बार-बार पैदा होते हैं। अब सवाल सड़क पर पड़े गड्ढों का नहीं,उन गड्ढों के पीछे छिपी जवाबदेही का है।

आदमी घर में बैठा है, सरकारी कागज उसे ढूंढ रहा है...

पहले वोटर थे,अब गवाही देनी है कि वोटर हैं...

मतदाता सूची की सफाई : कहीं आईना ही तो नहीं पोंछा जा रहा?

प्रो.आरके जैन अरिजीत बड़वानी,मध्यप्रदेश

उत्तराखंड में मतदाता सूची की सफाई शुरू हुई तो लगा,जैसे लोकतंत्र के पुराने घर में झाड़ू चल रही हो। धूल हटनी ही चाहिए,लेकिन झाड़ू लगते-लगाते एक चौंकाने वाला सच सामने आया–उधम सिंह नगर,हरिद्वार,देहरादून और नैनीताल, इन चार मैदानी जिलों से ही नाम हटाने के करीब 80-85 प्रतिशत आवेदन आए हैं। पहाड़ खामोश हैं,मैदानों में हलचल है। सवाल सूची की सफाई पर नहीं, इस असमानता पर है...आखिर इतनी 'गंदगी' इन्हीं चार जिलों में क्यों मिली? लोकतंत्र में आंकड़े मौन जरूर होते हैं,मगर कभी-कभी उनका मौन ही सबसे तीखा सवाल बन जाता है।

मतदाता सूची में मृत,स्थानांतरित,दोहरी या गलत प्रविष्टियां हों तो उन्हें हटाना व्यवस्था की जिम्मेदारी है। मगर सफाई और छंटाई में फर्क है–घर की धूल हटाई जाती है,घर के लोग नहीं। उत्तराखंड के पहाड़ों से मैदानों की ओर वर्षों से पलायन हुआ। लोग यहां बसे,घर बनाए,बच्चों को पढ़ाया,दुकानें खोलीं,मजदूरी और नौकरियां कीं और इसी मिट्टी में अपने जीवन की जड़ें जमा दीं। कई वर्षों से वोट देते आए ये लोग अब अचानक संदेह के घेरे में हों तो मामला कागज से आगे बढ़ जाता है। तब आदमी को अपने ही घर में यह साबित करना पड़ता है कि वह सचमुच इसी घर का है।

फॉर्म-7 इस कहानी का छोटा-सा कागज है,लेकिन उसके पीछे बड़ा सवाल है–आवेदन कौन कर रहा है और किस आधार पर? कोई इसे घुसपैठ से जोड़ रहा है,कोई दोहरी प्रविष्टि से। राजनीतिक दल अपने-अपने चश्मे से तस्वीर देख रहे हैं और प्रशासन नियम-कायदों के बीच रास्ता तलाश रहा है। मगर इन सबके बीच आम मतदाता अकेला खड़ा है–न उसके पास माइक है,न मंच,न अपनी बात कहने का कोई प्रभावशाली सहारा। उसके पास बस उसका नाम है। डर यही है कि अगली सूची में कहीं वही नाम न हो। जिस बुजुर्ग ने वर्षों मतदान किया, उसका नाम एक दिन गायब मिले तो यह महज कंप्यूटर की गलती नहीं, लोकतंत्र के दरवाजे पर उसके लिए बंद हुआ एक किवाड़ है।

चार जिलों में ही इतने आवेदन क्यों आए...इस सवाल का जवाब जरूरी है। मैदानों में आबादी अधिक है,प्रवासी,मजदूर,व्यापारी और अलग-अलग जगहों से आकर बसे परिवार भी अधिक हैं;इसलिए सूची में बदलाव की संभावना स्वाभाविक है। लेकिन सवाल फिर भी बचता है–पहाड़ों में नाम कम हट रहे हैं तो क्या वहां सब कुछ अपने आप सही है? क्या कम आवेदन शुद्धता की गारंटी हैं? या मैदानों की भीड़ को ही संदेह की पहली सीढ़ी मान लिया गया है? पहाड़ का सन्नाटा शुद्धता और मैदान की भीड़ गड़बड़ी मान लेना आसान है। मगर लोकतंत्र सुविधा से नहीं, सबके लिए एक जैसी कसौटी से चलता है।

सत्ता को सफाई हमेशा पसंद आती है...सड़कें साफ हों,दफ्तर साफ हों,फाइलें साफ हों और मतदाता सूची भी साफ हो,इससे भला किसे आपत्ति होगी? मुश्किल तब शुरू होती है,जब सफाई के नाम पर यह तय होने लगे कि कौन 'अनावश्यक' है। गलत नाम हटाना जरूरी है,लेकिन सही नागरिक को महज संदेह के आधार पर सूची से बाहर करना लोकतंत्र के साथ बड़ी भूल होगी। कागजों की दुनिया में इंसान धीरे-धीरे सिर्फ एक 'एंट्री' बन जाता है;एंट्री गलत हुई तो आदमी भी गलत ठहर जाता है।

भारत की तंबाकू नियंत्रण नीति में है बड़ी खामी

डॉ.सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

भारत में तंबाकू नियंत्रण के सामने अब एक नई चुनौती खड़ी हो रही है। बाजार में ऐसे निकोटिन पाउच तेजी से दिखाई देने लगे हैं,जिनमें तंबाकू की पत्ती नहीं होती,लेकिन निकोटिन मौजूद रहता है। छोटे और आसानी से इस्तेमाल किए जा सकने वाले ये पाउच अलग-अलग स्वादों में उपलब्ध हैं। इन्हें दुकानों के साथ-साथ ऑनलाइन भी बेचा जा रहा है। एक अध्ययन में ऐसे निकोटिन पाउच देश के 10 में से 7 शहरों में पाए गए। इनमें निकोटिन की मात्रा भी काफी अधिक थी। इससे साफ है कि यह केवल भविष्य की समस्या नहीं है,बल्कि भारत के बाजार में इसकी मौजूदगी बढ़ रही है।

सबसे बड़ी चिंता यह है कि तंबाकू न होने के कारण मौजूदा कानूनों में इन उत्पादों की सही जगह स्पष्ट नहीं है। भारत में तंबाकू नियंत्रण के लिए मुख्य कानून सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम यानी सीओटीपीए, 2003 है। यह कानून मुख्य रूप से उन उत्पादों पर लागू होता है जिनमें तंबाकू मौजूद है। इसलिए तंबाकू-मुक्त निकोटिन पाउच को सीधे सीओटीपीए के तहत रखना आसान नहीं है। यही कानूनी खामी कंपनियों और विक्रेताओं के लिए रास्ता खोल सकती है।

सीओटीपीए के तहत तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन,नाबालिगों को बिक्री, पैकेजिंग और स्वास्थ्य चेतावनी जैसे कई नियम हैं। लेकिन यदि किसी उत्पाद में तंबाकू की जगह केवल निकोटिन है तो सवाल उठता है कि उस पर यही नियम किस आधार पर लागू किए जाएं। कानून को केवल उसकी भावना के आधार पर नहीं चलाया जा सकता। प्रशासन यह मानकर किसी नए उत्पाद को पुराने कानून में नहीं ला सकता कि उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव समान है। इसके लिए स्पष्ट कानूनी आधार जरूरी है।

कुछ लोग निकोटिन पाउच को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019 के तहत नियंत्रित करने की बात कर सकते हैं। लेकिन यह रास्ता भी आसान नहीं है। ई-सिगरेट ऐसे उपकरण हैं जिनमें किसी पदार्थ को गर्म करके एरोसोल बनाया जाता है। निकोटिन पाउच में न तो कुछ जलाया जाता है और न ही एरोसोल बनाया जाता है। इसे केवल इसलिए ई-सिगरेट मान लेना कि दोनों में निकोटिन होता है,कानूनी रूप से कमजोर तर्क हो सकता है। इसलिए सरकार को इस बारे में स्पष्ट कानूनी व्यवस्था बनाने की जरूरत है।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत खाद्य पदार्थों में तंबाकू और निकोटिन के इस्तेमाल पर रोक है। लेकिन हर ऐसी चीज जिसे मुंह में रखा जाता है,जरूरी नहीं कि वह कानूनी रूप से खाद्य पदार्थ भी हो। निकोटिन पाउच का इस्तेमाल मुंह में किया जाता है, लेकिन इससे वह अपने आप खाद्य पदार्थ नहीं बन जाता। इसलिए केवल खाद्य सुरक्षा कानून के सहारे इनके पूरे बाजार को नियंत्रित करना भी आसान नहीं होगा। अलग-अलग कानूनों के बीच स्पष्टता और आपसी तालमेल जरूरी है।

निकोटिन का इस्तेमाल कुछ चिकित्सकीय उत्पादों में भी होता है। उदाहरण के लिए निकोटिन गम और पैच जैसे उत्पाद धूम्रपान छोड़ने में मदद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और इन पर औषधि संबंधी नियम लागू होते हैं। इसलिए सरकार को निकोटिन पाउच की प्रकृति और उनके दावों के आधार पर यह स्पष्ट करना चाहिए कि कोई उत्पाद चिकित्सकीय उपयोग का है या केवल मनोरंजक इस्तेमाल के लिए बाजार में लाया गया है। हर निकोटिन उत्पाद को दवा मान लेना सही नहीं होगा और हर उत्पाद को दवा के दायरे से बाहर रखना भी उचित नहीं होगा।

हाल में निकोटिन पाउच की बिक्री को लेकर मुंबई हवाई अड्डे की ड्यूटी-फ्री दुकानों का मामला भी सामने आया। इससे पता चलता है कि इन उत्पादों की कानूनी स्थिति को लेकर सरकार और कारोबारियों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। ऐसे मामलों में केवल कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है। सरकार को यह भी स्पष्ट करना होगा कि किस कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है और उसकी कानूनी सीमा क्या है।

सरकार को इस मामले में जल्दबाजी में ऐसा आदेश नहीं निकालना चाहिए जो बाद में अदालत में टिक न पाए। सबसे पहले यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में निकोटिन युक्त मौखिक उत्पादों को दवा माना जाएगा और किन परिस्थितियों में नहीं। इसके लिए वैज्ञानिक प्रमाण और मौजूदा कानून दोनों को आधार बनाया जाना चाहिए। साथ ही निकोटिन पाउच के आयात पर भी सख्ती की जरूरत है। सीमा शुल्क,विदेश व्यापार महा निदेशालय और औषधि नियामकों के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए,ताकि बिना उचित अनुमति के आने वाली खेपों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।

स्वास्थ्य मंत्रालय,औषधि नियामक, खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, सीमा शुल्क और राज्य स्तर के संबंधित विभागों के बीच भी एक साझा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। अभी अलग-अलग विभागों के बीच जिम्मेदारी को लेकर अस्पष्टता दिखाई देती है। इसका फायदा कारोबारी उठा सकते हैं। यदि किसी उत्पाद की कानूनी स्थिति ही स्पष्ट नहीं होगी तो उसका प्रभावी नियमन कैसे होगा,यह सवाल स्वाभाविक है।

ऑनलाइन बिक्री पर भी विशेष ध्यान देना होगा। आज कोई भी नया उत्पाद केवल बाजार की दुकानों तक सीमित नहीं रहता। ई-कॉमर्स और क्विक-कॉमर्स के माध्यम से वह कुछ ही घंटों में उपभोक्ता तक पहुंच सकता है। इसलिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचने से पहले उत्पाद की कानूनी स्थिति,विक्रेता की जानकारी और आयु सत्यापन जैसी व्यवस्थाएं जरूरी होनी चाहिए। बिना अनुमति या स्पष्ट कानूनी स्थिति वाले उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री से हटाने की व्यवस्था भी प्रभावी होनी चाहिए।

युवाओं को इन उत्पादों से बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके लिए स्पष्ट स्वास्थ्य चेतावनी,न्यूनतम आयु सीमा,बच्चों से सुरक्षित पैकेजिंग और युवाओं को आकर्षित करने वाले स्वाद तथा विज्ञापन पर नियंत्रण जैसे उपाय जरूरी हैं। लेकिन इन सभी उपायों का आधार मौजूदा कानून होना चाहिए। सरकार केवल कार्यकारी आदेश के माध्यम से ऐसा नया कानून नहीं बना सकती जो संसद के अधिकार क्षेत्र में आता हो।

सरकार के तत्काल कदम जरूरी हैं, लेकिन वे स्थायी समाधान नहीं हैं। स्थायी समाधान संसद को करना होगा। सीओटीपीए में संशोधन किया जा सकता है या निकोटिन उत्पादों के लिए एक नया व्यापक कानून बनाया जा सकता है। ऐसे कानून में अलग-अलग निकोटिन उत्पादों के लिए अलग श्रेणियां बनाई जा सकती हैं,जैसे ज्वलनशील तंबाकू,धुआंरहित तंबाकू,ई-सिगरेट,मौखिक निकोटिन पाउच और चिकित्सकीय निकोटिन उत्पाद। इससे कानून केवल इस बात पर निर्भर नहीं रहेगा कि किसी उत्पाद में तंबाकू की पत्ती है या नहीं,बल्कि यह भी देखा जाएगा कि वह शरीर में निकोटिन किस तरह पहुंचाता है और उसका इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जा रहा है।

यह भी जरूरी है कि सभी निकोटिन उत्पादों को एक ही नजर से न देखा जाए। चिकित्सकीय निकोटिन गम और मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाले निकोटिन पाउच को समान श्रेणी में रखना उचित नहीं होगा। कानून को उत्पाद के जोखिम और उसके उपयोग के आधार पर अलग-अलग नियम बनाने चाहिए। साथ ही व्यावसायिक कंपनियों को यह छूट भी नहीं मिलनी चाहिए कि वे केवल तंबाकू की पत्ती हटाकर किसी नए उत्पाद को मौजूदा तंबाकू कानूनों से बाहर कर दें।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तंबाकू-मुक्त का अर्थ जोखिम-मुक्त नहीं है। निकोटिन नशे की लत पैदा करता है। खासकर युवाओं और पहली बार निकोटिन लेने वाले लोगों के लिए इसके प्रभाव को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आकर्षक स्वाद,पैकेजिंग और ऑनलाइन प्रचार युवाओं को इन उत्पादों की ओर आकर्षित कर सकते हैं। इसलिए जनस्वास्थ्य की चिंता को कानून की स्पष्टता के साथ जोड़ना जरूरी है।

भारत को न तो इस मामले में अनावश्यक घबराहट की जरूरत है और न ही आंखें बंद करके बैठने की। तत्काल जरूरत है कि सरकार मौजूदा कानूनों के तहत आयात, लाइसेंसिंग, वर्गीकरण और ऑनलाइन बिक्री पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करे। साथ ही संसद को ऐसी कानूनी व्यवस्था बनानी चाहिए जो भविष्य में आने वाले नए निकोटिन उत्पादों पर भी लागू हो सके।

कानून में खामी का अर्थ यह नहीं होना चाहिए कि बाजार को खुला छोड़ दिया जाए। लेकिन यह भी सच है कि सरकारी अधिसूचना संसद द्वारा बनाए जाने वाले कानून का विकल्प नहीं हो सकती। आज जरूरत ऐसे कानून की है जो बदलती तकनीक और बदलते बाजार के साथ कदम मिलाकर चले। निकोटिन का रूप बदल सकता है,उसका बाजार बदल सकता है,लेकिन उसकी लत का खतरा बना रहता है। इसलिए जरूरी है कि कानून बनने का इंतजार करते हुए सरकार अपनी मौजूदा कानूनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करे और संसद भविष्य के लिए स्पष्ट,व्यापक और प्रभावी निकोटिन नियंत्रण कानून बनाए।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

ब्रिक्स शक्ति-संघर्ष का अखाड़ा नहीं,सहयोग का सेतु बने

ललित गर्ग
पटपड़गंज,नई दिल्ली

नई दिल्ली में 12-13 सितंबर को होने वाला 18 वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है,जब विश्व व्यवस्था गहरे संक्रमण से गुजर रही है। रूस-यूक्रेन युद्ध,पश्चिम एशिया का तनाव, आतंकवाद,व्यापारिक टकराव,ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा की चिंता,कृत्रिम बुद्धिमत्ता की तेज होती चुनौती और वैश्विक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर उठते प्रश्नों ने दुनिया के सामने अनेक अनुत्तरित सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका की व्यापार एवं रणनीतिक नीतियों से पैदा हो रहा दबाव भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। ऐसे वातावरण में भारत की अध्यक्षता में होने वाला यह सम्मेलन केवल एक कूटनीतिक आयोजन नहीं,बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है। भारत ने अपनी अध्यक्षता का मूल मंत्र रखा है-लचीलेपन,नवाचार, सहयोग और स्थिरता के आधार पर भविष्य का निर्माण। ब्रिक्स अब 2006 में आरंभ हुई उस मूल अवधारणा से बहुत आगे निकल चुका है,जिसमें ब्राजील, रूस,भारत और चीन प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के रूप में सामने आए थे और बाद में दक्षिण अफ्रीका भी इसमें शामिल हुआ। विस्तार के बाद यह 11 सदस्यीय समूह बन चुका है और इसका प्रभाव वैश्विक दक्षिण की राजनीति और अर्थव्यवस्था में लगातार बढ़ा है। वर्ष 2026 ब्रिक्स की स्थापना के दो दशक पूरे होने का वर्ष भी है। भारत के लिए यह अध्यक्षता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वह ब्रिक्स को किसी पश्चिम-विरोधी या अमेरिका-विरोधी मंच के रूप में नहीं,बल्कि विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं की रचनात्मक, संतुलित और बहुपक्षीय आवाज के रूप में स्थापित करना चाहता है।

ब्राजील में 2025 के ब्रिक्स सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूत करने,बहुपक्षीय व्यवस्था में सुधार,कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जिम्मेदार वैश्विक शासन, जलवायु वित्त,स्वास्थ्य,व्यापार और वित्तीय सहयोग जैसे विषयों पर महत्वपूर्ण सहमति बनी थी। रियो घोषणा में संयुक्त राष्ट्र व्यवस्था को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने और वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया गया था। साथ ही स्थानीय मुद्राओं में वित्तीय लेन-देन,सीमा-पार भुगतान व्यवस्था और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने की दिशा में भी आगे बढ़ने की बात कही गई थी। भारत को 2026 की अध्यक्षता सौंपते हुए ब्राजील ने नई दिल्ली से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अपेक्षा व्यक्त की थी। इस दृष्टि से दिल्ली सम्मेलन की पहली बड़ी कसौटी यही होगी कि ब्रिक्स घोषणाओं और वास्तविक उपलब्धियों के बीच की दूरी कितनी कम कर पाता है। भारत ने अध्यक्षता के दौरान 25 से अधिक शहरों में 350 से अधिक बैठकें और उच्चस्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए हैं। राजनीतिक एवं सुरक्षा सहयोग,आर्थिक एवं वित्तीय सहयोग तथा सांस्कृतिक एवं जन-जन संपर्क-इन तीनों क्षेत्रों में व्यावहारिक परिणामों पर जोर दिया गया है। इसलिए अब दुनिया की नजर इस बात पर होगी कि सम्मेलन के अंत में केवल लंबा संयुक्त घोषणा-पत्र सामने आता है या कुछ ऐसे ठोस फैसले भी होते हैं जिनका असर आने वाले वर्षों में दिखाई दे।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता इस सम्मेलन की सबसे महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। एआई ने चिकित्सा,शिक्षा,कृषि,उद्योग, वित्त और शासन के क्षेत्र में अभूतपूर्व संभावनाएं खोली हैं,लेकिन इसके साथ रोजगार,डेटा सुरक्षा,गलत सूचना, साइबर सुरक्षा और तकनीकी असमानता के खतरे भी बढ़े हैं। ब्राजील सम्मेलन में भी एआई के वैश्विक शासन को लेकर व्यापक चिंता व्यक्त की गई थी। भारत अब ब्रिक्स देशों के बीच एआई, उन्नत कंप्यूटिंग,क्वांटम तकनीक और सेमी कंडक्टर जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में जोर दे रहा है। यदि ब्रिक्स तकनीक को कुछ शक्तिशाली देशों और कंपनियों के नियंत्रण से बाहर निकालकर विकासशील देशों की पहुंच तक ले जाने की प्रभावी व्यवस्था बना सके,तो यह उसकी बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी बड़ी चुनौती आर्थिक है। विश्व अर्थव्यवस्था में ब्रिक्स का वजन बढ़ रहा है,लेकिन समूह के भीतर आपसी व्यापार अभी भी उसकी संभावित क्षमता के अनुरूप नहीं है। भारत आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत और विविध बनाने,छोटे एवं मध्यम उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने तथा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। जयपुर में हुई ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक में ब्रिक्स इकनोमिक पार्टनरशिप 2030,एमएसएमई के लिए वित्तीय सुविधा और अधिक संतुलित व्यापार जैसे मुद्दों पर प्रगति हुई है।

यहां 'डी-डॉलराइजेशन' का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है,लेकिन भारत का दृष्टिकोण अत्यंत व्यावहारिक है। भारत किसी नई साझा ब्रिक्स मुद्रा के निर्माण की जल्द बाजी में नहीं है। इसके बजाय सीमा-पार डिजिटल भुगतान की ऐसी व्यवस्था विकसित करने पर जोर है,जिससे सदस्य देश अपनी-अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में अपेक्षाकृत सुगम व्यापार कर सकें। यह दृष्टिकोण अमेरिकी डॉलर के खिलाफ किसी राजनीतिक मोर्चेबंदी से अधिक वित्तीय स्वायत्तता और लेन-देन की सुविधा का प्रयास है। परंतु ब्रिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आंतरिक विविधता और मतभेद हैं। भारत और चीन के बीच सीमा एवं रणनीतिक अविश्वास की विरासत अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। रूस और पश्चिम के बीच संघर्ष,ईरान से जुड़े तनाव तथा पश्चिम एशिया की जटिल परिस्थितियां भी ब्रिक्स के लिए साझा राजनीतिक रुख बनाना कठिन बनाती हैं। विशेष रूप से पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट में ईरान,सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के अलग-अलग हित हैं। ऐसे में ब्रिक्स यदि हर अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर एकमत नहीं हो पाता तो यह उसकी सीमाओं को उजागर करेगा।

यही कारण है कि भारत के सामने इस सम्मेलन में सबसे कठिन कूटनीतिक संतुलन है। उसे चीन और रूस के साथ सहयोग भी बढ़ाना है,लेकिन अमेरिका और यूरोप सहित पश्चिमी देशों से अपने आर्थिक एवं रणनीतिक संबंध भी बनाए रखने हैं। भारत का हित किसी एक शक्ति-ध्रुव के साथ खड़े होने में नहीं,बल्कि बहुध्रुवीय विश्व में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता मजबूत करने में है। ब्रिक्स को यदि केवल 'पश्चिम के विकल्प' के रूप में प्रस्तुत किया गया तो उसकी स्वीकार्यता सीमित हो सकती है,लेकिन यदि वह वैश्विक दक्षिण के विकास,शांति,तकनीकी समानता और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व का मंच बनता है,तो उसका महत्व कहीं अधिक बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबे समय से वैश्विक संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर जोर देते रहे हैं। उनका तर्क है कि बीसवीं सदी में बनाई गई संस्थाओं को इक्कीसवीं सदी की वास्तविकताओं के अनुरूप बदलना होगा। आज विश्व अर्थव्यवस्था में जिन देशों का योगदान बढ़ा है,यदि उन्हें निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो संस्थाओं की विश्वस नीयता और प्रभावशीलता दोनों प्रभावित होती हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद,अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में सुधार की मांग इसी व्यापक संदर्भ का हिस्सा है। ब्रिक्स इस मांग को संगठित आवाज देने का प्रभावी माध्यम बन सकता है।

लेकिन सम्मेलन की सफलता का वास्तविक पैमाना अमेरिका की आलोचना या पश्चिमी व्यवस्था को चुनौती देना नहीं होगा। सफलता तब मानी जाएगी जब ब्रिक्स दुनिया को बेहतर विकल्प दे-ऐसा विकल्प जिसमें आर्थिक सहयोग हो,तकनीकी साझेदारी हो,ऊर्जा एवं खाद्य सुरक्षा हो,आतंकवाद के विरुद्ध साझा प्रतिबद्धता हो,आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा हो,पर्यावरणीय संतुलन हो और विकासशील देशों की वास्तविक भागीदारी हो। भारत की 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना तभी सार्थक होगी,जब ब्रिक्स शक्ति-संघर्ष का नया अखाड़ा बनने के बजाय सहयोग का नया सेतु बने। अंततः दिल्ली सम्मेलन भारत की कूटनीतिक क्षमता की भी परीक्षा है और ब्रिक्स की प्रासंगिकता की भी। दुनिया आज युद्ध से अधिक शांति,प्रतिस्पर्धा से अधिक सहयोग और प्रभुत्व से अधिक साझेदारी चाहती है। मानवता का भविष्य केवल हथियारों,अंतरिक्ष अभियानों या कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति में नहीं,बल्कि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के बीच विश्वास,सह-अस्तित्व और साझा विकास में सुरक्षित है। यदि नई दिल्ली सम्मेलन घोषणाओं से आगे बढ़कर इस विश्वास को संस्थागत रूप देने की दिशा में कुछ ठोस कदम उठा सका,तो यह भारत की अध्यक्षता की बड़ी उपलब्धि होगी। अन्यथा ब्रिक्स भी अनेक वैश्विक मंचों की तरह उम्मीदें जगाने वाला,लेकिन अपेक्षाओं पर अधूरा उतरने वाला संगठन बनकर रह जाएगा।

हिंदी कवितायें

कैसा अजीब सिलसिला है...

प्रोफेसर शाम लाल कौशल
रोहतक
हरियाणा

जिस बेटी को हम प्यार से पालते हैं
हर बुरी नजर से उसको हम बचाते हैं
जब बहुत बड़ी हो जाती है वह हम
और की अमानत समझ दे देते हैं।
अपने दिल के टुकड़े को किसी और
को दे देने की बड़ी अजीब रिवायत है।
मां बाप बेटा पाने की हसरत ले कर
मन्नत मांगते हैं,तीर्थ यात्रा करते हैं
कथा कीर्तन और भंडारे करवाते हैं
वही लड़का मरने पर आग लगाता है
कैसी अजीब रिवायत बनी हुई है हमारी।
जिंदगी का पल भर का भी भरोसा नहीं
और हम रहने के लिए मकान बनवाते हैं
कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए इस
बात का किसी को पता ही नहीं मेरे दोस्तों
फिर भी कल के लिए पैसा पाई जोड़ते हैं।
कैसी अजीब रवायत है पागल दुनिया की।
किसी पर जब हम आंख मूंद भरोसा करते हैं
वही हमें धोखा देकर चंपत हो जाता है
उसके बावजूद भी हम भरोसा नहीं छोड़ते
कैसी अजीब रवायत है इस दुनिया की।

जिंदा हूं मैं...

केशी गुप्ता
द्वारका
दिल्ली

ज़िंदगी मिली है तो जिंदा हूं मैं...
साँसे चल रही है तो जिंदा हूं मै...
रात दिन के चक्र का हिस्सा हूं तो जिंदा हूं मैं
ख़ामोशी से सब सह रहा हूं तो जिंदा हूं मै
न्याय से मुख मोड़ खड़ा हूं तो जिंदा हूं मै
देख तसर झुकाए खड़ा हूं तो जिंदा हूं मै
पर उठता है इक सवाल जहन में
क्या यही जिंदा होने की निशानी है यारो
उसका क्या जो बैठा है भीतर
चीख रहा चिला रहा मदद को हर पल
अंदर ही अंदर घुटन में मर रहा हर पल
जिंदा है तो सुन आवाज़ उसकी
कर आजाद उसे इस तंग दिल ज़माने से
पहुंचा पैगाम उसका बुलंद कर आवाज उसकी
साँसे चले तो अहसास हो रोशनाई का
कहना न पढ़े कि जिंदा हूं मैं
जिंदगी खुद दे गवाही जिंदगी की

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

बंगले के घेराव से खुली सड़कों की पोल,मंत्री ने माना...'हां...सड़कें बेहद खराब हैं'

सियासत से ज्यादा अब सड़क की बात : जनता के आक्रोश के बीच स्वीकारोक्ति बनी चर्चा का विषय,सवाल...जब बदहाली मालूम थी तो सुधार कब शुरू हुआ?

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर की बदहाल सड़कों को लेकर जनता का आक्रोश गुरुवार को मंत्री राजेश अग्रवाल के निवास तक पहुंच गया। सड़क की दुर्दशा से नाराज नागरिकों ने विधायक-मंत्री निवास का घेराव कर अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान मंत्री राजेश अग्रवाल की ओर से समस्या से मुंह मोड़ने के बजाय यह स्वीकार किया जाना कि 'हां,सड़कें बेहद खराब हैं',चर्चा का विषय बन गया। समर्थक इसे सरगुजिहापन और जनता से सीधे संवाद की मिसाल बता रहे हैं,लेकिन जनता के लिए असली सवाल इससे आगे का है...जब सड़कें खराब होने की बात स्वीकार है,तो उन्हें ठीक करने में इतनी देर क्यों हुई? घेराव में सुरेश राम बुनकर,अंकुर सिन्हा,संजय ठाकुर,अनीता साहनी,घनश्याम दास,राजेंद्र बहादुर सिंह,मनीष टोप्पो,सुजान बिन्द,सुल्ताना सिद्दीकी,धनराज साहनी,अनीता पैकरा,शाहनाज खान और जूही सहित अन्य नागरिक शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने शहर की बदहाल सड़कों को लेकर अपनी नाराजगी जताते हुए सड़क सुधार की ठोस और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की।

घेराव ने सवाल उठाया, स्वीकारोक्ति ने जिम्मेदारी बढ़ाई : किसी जनप्रतिनिधि के निवास का घेराव होना अपने आप में जनता के असंतोष का गंभीर संकेत है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सड़क की बदहाली को लेकर समस्या से बचने या जिम्मेदारी दूसरे विभाग पर डालने के बजाय उसे स्वीकार किया गया। यही स्वीकारोक्ति अब सरकार और प्रशासन की जवाबदेही भी बढ़ाती है। यदि मंत्री स्वयं मान रहे हैं कि सड़कें बेहद खराब हैं तो जनता का यह सवाल भी स्वा भाविक है कि इन सड़कों की हालत यहां तक पहुंचने के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या संबंधित विभाग नियमित निरीक्षण नहीं कर रहा था? क्या बारिश से पहले मरम्मत की प्रभावी योजना नहीं बनाई गई? यदि योजना बनी थी तो उसका असर सड़कों पर क्यों नहीं दिखा?

गड्ढों से परेशान जनता अब जवाब चाहती है : बारिश के बाद अंबिकापुर शहर और आसपास के क्षेत्रों की कई सड़कों की हालत और खराब हो गई है। जगह-जगह गड्ढे, उखड़ी सड़कें और जलभराव वाहन चालकों के लिए परेशानी के साथ दुर्घटना का खतरा भी बढ़ा रहे हैं। जनता का कहना है कि सड़क केवल किसी विभाग की संपत्ति नहीं,बल्कि हर नागरिक के रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। खराब सड़क का असर स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर मरीजों,बुजुर्गों, कर्मचारियों और व्यापारियों तक पर पड़ता है।

अब स्वीकारोक्ति से आगे बढ़कर कार्रवाई की जरूरत : मंत्री द्वारा जनता के बीच सड़क की बदहाली स्वीकार करना संवाद की दृष्टि से सकारात्मक कदम माना जा सकता है। समस्या को स्वीकार करना उससे मुंह मोड़ने से बेहतर है। लेकिन लोकतंत्र में स्वीकारोक्ति अंतिम उपलब्धि नहीं,समाधान की शुरुआत होती है। अब जनता यह देखना चाहती है कि जिन सड़कों की बदहाली स्वीकार की गई है,वहां काम कब शुरू होगा। कौन सी सड़क प्राथमिकता में है, कितना बजट स्वीकृत होगा और निर्माण की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी होगी...इन सवालों का जवाब भी जनता को चाहिए। क्योंकि गड्ढों में अस्थायी तौर पर मुरुम या गिट्टी डालकर समस्या को टाल देना स्थायी समाधान नहीं है। जनता ऐसी सड़क चाहती है जो अगली बारिश तक नहीं,बल्कि वर्षों तक सुरक्षित आवागमन दे।

अब जनता की नजर कार्रवाई पर...

आज का घेराव केवल विरोध का एक कार्यक्रम नहीं,बल्कि जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के सामने जनता की सीधी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने अपनी बात रख दी,मंत्री ने समस्या स्वीकार कर ली। अब असली परीक्षा संबंधित विभाग और प्रशासन की है।

सवाल अब यह नहीं कि सड़क खराब है या नहीं...क्योंकि यह बात स्वयं स्वीकार की जा चुकी है। सवाल यह है कि सड़क कब सुधरेगी?

अंबिकापुर की जनता अब बयान नहीं, समयसीमा के साथ काम देखना चाहती है। यही इस स्वीकारोक्ति की अगली और सबसे बड़ी परीक्षा होगी।

बच्चे से स्कूटी टकराने पर विवाद,चाकू से हमला करने वाला आरोपी एक घंटे में गिरफ्तार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

बच्चे से स्कूटी टकराने की बात को लेकर हुए विवाद में युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में गांधीनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को करीब एक घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया,जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मामले में शामिल दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार रॉयल पार्क कॉलोनी, किसान राइस मिल रोड निवासी आकाश गोयल 9 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे अपनी स्कूटी से दुकान जा रहा था। रॉयल पार्क मोड़ के पास उसकी स्कूटी से एक बच्चे को हल्की टक्कर लग गई। बच्चे के परिजन उसे अस्पताल लेकर गए। इसी बात को लेकर बाद में आदि अग्रवाल अपने साथी वंश पंडित के साथ स्कूटी से वहां पहुंचा। आरोप है कि वंश पंडित के हाथ में चाकू और आदि अग्रवाल के हाथ में बैट था। दोनों ने आकाश के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और बैट व हाथ-मुक्के से मारपीट की। इसी दौरान वंश पंडित ने चाकू से आकाश के कूल्हे के पास गंभीर चोट पहुंचा दी। किसी तरह मौके से निकलकर आकाश ने गांधीनगर थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने अपराध क्रमांक 564/26 के तहत बीएनएस की धारा 296, 351(3),115(2),109, 3(5) तथा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की।

पूछताछ में आरोपी ने कबूली घटना : डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देश पर गांधीनगर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस के अनुसार सतत प्रयास के बाद आरोपी वंश कुमार झा उर्फ वंश पंडित (20),निवासी नमनाकला,शनि मंदिर के पास को पकड़कर पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने घटना में शामिल होना स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू के संबंध में पूछताछ की तो आरोपी ने उसे घटनास्थल के आसपास फेंकना बताया। पुलिस ने बताए गए स्थान पर चाकू की तलाश की,लेकिन हथियार बरामद नहीं हो सका।

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया,जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि प्रकरण में शामिल अन्य आरोपी आदि अग्रवाल की तलाश की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम द्वारा संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मामले में विवेचना जारी है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक शशिकांत सिन्हा,उप निरीक्षक दिलीप दुबे, आरक्षक राहुल सिंह, रमन मंडल और घनश्याम देवांगन सक्रिय रहे।

अंबिकापुर-बनारस मार्ग फिर बना जानलेवा भाजपा नेता की ट्रक से कुचलकर मौत

तेज रफ्तार ट्रकों पर लगाम कब? हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक फरार, सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल...

-संवाददाता-
दतिमा,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर सड़क हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार दोपहर सूरजपुर जिले के लटोरी चौकी अंतर्गत ग्राम पंचायत गंगापुर में हुए दर्दनाक हादसे में भाजपा लटोरी मंडल उपाध्यक्ष 45 वर्षीय नरेश चौधरी पिता मनबोध चौधरी की मौत ने एक बार फिर इस मार्ग की यातायात और सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत फरार हो गया, जबकि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर वाहन की तलाश कर रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत तुलसी निवासी नरेश चौधरी बुधवार को किसी कार्य से लटोरी आए थे। दोपहर करीब 3 बजे बाइक से वापस तुलसी लौटते समय गंगापुर में ज्वाला घर के समीप पीछे से तेज गति से आ रहे अज्ञात ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद नरेश सड़क पर जा गिरे और ट्रक उन्हें कुचलते हुए निकल गया। गंभीर रूप से कुचल जाने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई। लटोरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तथा घटना की जांच शुरू की। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है।

सदस्या हुआ,चालक भाग गया... निगरानी व्यवस्था पर सवाल

इस हादसे का सबसे गंभीर पहलू यह है कि भारी वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई,लेकिन आरोपी चालक वाहन समेत फरार होने में सफल रहा। पुलिस अब आसपास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालकर ट्रक की पहचान करने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि अंबिकापुर-बनारस जैसे व्यस्त मार्ग पर भारी वाहनों की गति और आवाजाही की नियमित निगरानी कितनी प्रभावी है? यदि मार्ग पर पर्याप्त निगरानी व्यवस्था है तो दुर्घटना के बाद ट्रक चालक इतनी आसानी से फरार कैसे हो गया? और यदि निगरानी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है तो दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जिम्मेदार विभाग आखिर कब गंभीर होंगे?

सिर्फ एफआईआर से खत्म नहीं होनी चाहिए जिम्मेदारी

सड़क दुर्घटना के बाद पुलिस द्वारा अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर तलाश करना आवश्यक कार्रवाई है,लेकिन जनहित का सवाल इससे आगे का है। लगातार हादसों वाले मार्गों पर स्पीड मॉनिटरिंग,भारी वाहनों की जांच,सीसीटीवी निगरानी,ब्लैक स्पॉट की पहचान,सड़क किनारे सुरक्षा संकेतक और प्रभावी पेट्रोलिंग जैसी व्यवस्थाओं की समीक्षा भी जरूरी है। किसी दुर्घटना के बाद शव का पोस्टमार्टम, एफआईआर और आरोपी की तलाश कर देना तत्काल कानूनी प्रक्रिया हो सकती है,लेकिन इससे सड़क हादसों की मूल समस्या समाप्त नहीं होती। यदि किसी मार्ग पर लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं तो संबंधित विभागों को

यह भी देखना होगा कि आखिर उन हादसों के पीछे सड़क की स्थिति,वाहन की गति, यातायात नियंत्रण अथवा निगरानी व्यवस्था में कौन-सी कमी है।

एक मौत ने फिर पूछ दिया बड़ा सवाल : नरेश चौधरी की मौत से उनके परिवार पर दुःखों का पहाड़ टूट पड़ा है। भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों में भी शोक है। लेकिन यह घटना केवल एक परिवार या राजनीतिक दल का निजी दुःख नहीं है। सड़क पर चलने वाला हर व्यक्ति ऐसी दुर्घटना का संभावित शिकार हो सकता है। इसलिए प्रशासन और संबंधित विभागों से यह अपेक्षा है कि इस हादसे को केवल एक और सड़क दुर्घटना मानकर फाइल बंद न की जाए। अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान,तेज रफ्तार वाहनों पर कार्रवाई और भारी वाहनों की निगरानी की ठोस व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आखिर सड़क पर किसी की जान जाने के बाद ही व्यवस्था जागेगी,या हादसे से पहले भी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी?

पटवारी से मारपीट के आरोपी भाजपा नेता को 6 जिलों से किया निष्कासित

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

दरिमा स्थित कार्यालय में घुसकर पटवारी से मारपीट और चाकू लेकर जान से मारने की धमकी देने के मामले में भाजपा नेता जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक सरगुजा के प्रतिवेदन पर जिला दंडाधिकारी ने राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 के तहत उसे एक वर्ष के लिए छह जिलों की सीमा से निष्कासित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार जितेन्द्र कुजूर उर्फ मोनू कुजूर,पिता दिलेन्द्र कुजूर,निवासी ग्राम सोहगा,तहसील दरिमा,जिला सरगुजा को 10 सितंबर 2026 से एक वर्ष की अवधि के लिए सरगुजा,जशपुर, रायगढ़,कोरबा,बलरामपुर और सूरजपुर जिले की सीमा से निष्कासित किया गया है।

नोटिस के बाद हुई कार्रवाई : पुलिस अधीक्षक सरगुजा ने जितेन्द्र कुजूर के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला बदर की कार्रवाई के लिए जिला दंडाधिकारी के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। प्रतिवेदन के आधार पर उसे कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब लिया गया और विधिवत सुनवाई का अवसर दिया गया। अभियोजन एवं रिपोर्टकर्ता के साक्ष्यों के आधार पर आरोपों की पुष्टि होने के बाद जिला दंडाधिकारी ने जिला बदर का आदेश जारी किया।

पटवारी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटने का आरोप : पुलिस के अनुसार 23 अप्रैल को जितेन्द्र कुजूर दरिमा स्थित कार्यालय पहुंचा था। वह पटवारी पर आरआई सोहगा से मोबाइल पर बात कराने का दबाव बना रहा था। बात नहीं कराने पर उसने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए कुर्सी उठाकर पटवारी पर हमला कर दिया। इसके बाद जान से मारने की धमकी देते हुए अपनी कार से चाकू लेकर आया और पटवारी तथा चौकीदार को चाकू से हमला करने के लिए दौड़ाया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था।

करोड़ों की जमीन हड़पने फर्जी वारिस बनाने का आरोप

40 साल से जमीन पर काबिज ग्रामीण ने उच्चस्तरीय जांच और एफआईआर की मांग की...

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा जिले के ग्राम रनपुरखुर्द में करोड़ों रुपए मूल्य की शासकीय/निजी भूमि को फर्जी दस्तावेजों के जरिए हड़पने की कोशिश का आरोप सामने आया है। ग्राम निवासी रामाधार राजवाड़े ने इस संबंध में शासन-प्रशासन, मुख्यमंत्री,आईजी और एसपी सहित अधिकारियों को शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। शिकायत के अनुसार रनपुरखुर्द स्थित खसरा नंबर 93/4 की 0.745 हेक्टेयर भूमि पर रामाधार राजवाड़े करीब 40 वर्षों से काबिज होकर खेती कर रहे हैं। शिकायत में बताया गया है कि उक्त भूमि स्वर्गीय महेन्द्र प्रसाद, पिता नानसाय कंवर के नाम थी। महेन्द्र प्रसाद की वर्ष 2003 में अविवाहित और निःसंतान मृत्यु हो गई थी। रामाधार राजवाड़े का आरोप है कि भूमि पर कब्जा करने के लिए मो. आफताब शाह और मो. इकबाल शाह की कथित मिलीभगत से अमरसाय सिंह, मानकुंवर सहित अन्य लोगों के परिजनों को महेन्द्र प्रसाद का वारिस बताते हुए फर्जी वंशावली और दस्तावेज तैयार किए गए। शिकायत में ग्रामीणों और ग्राम पंचायत पुहपुटरा के पंचनामा का हवाला देते हुए कहा गया है कि गांव में महेन्द्र प्रताप नाम का कोई व्यक्ति नहीं था और अमरसाय को कभी महेन्द्र नाम से नहीं जाना गया।

जांच में हेरफेर का भी आरोप

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि पुलिस और प्रशासनिक जांच में साक्ष्य सामने आने के बावजूद निचले स्तर के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों से कथित सांठगांठ कर जांच प्रतिवेदन की फाइलों में हेरफेर किया गया। इसका उद्देश्य कथित भू-माफियाओं और फर्जी वारिसों को लाभ पहुंचाना बताया गया है। रामाधार राजवाड़े ने पूरे मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने,फर्जी वंशावली और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई तथा दोषियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

सेंट जेवियर स्कूल में साइबर जागृति अभियान,1000 से अधिक छात्र-छात्राएं हुए जागरूक

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

साइबर अपराधों से बचाव और विद्यार्थियों को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सरगुजा पुलिस द्वारा चलाए जा रहे साइबर जागृति अभियान के तहत सेंट जेवियर हायर सेकेंडरी स्कूल में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में करीब 1000 छात्र-छात्राओं के साथ 40 शिक्षक-शिक्षिकाओं ने हिस्सा लिया। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी के नेतृत्व में जिले में व्यापक स्तर पर साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत इस सप्ताह विशेष

रूप से बालिकाओं की सुरक्षा और उनकी साइबर सुरक्षा में सहभागिता पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य फादर माइकल तिर्की,नवा बिहान संस्था के मंगल पांडे,अजय तिवारी एवं संतोष दास मौजूद रहे। उप निरीक्षक अभय तिवारी तथा साइबर सेल से अनुज जायसवाल और अमन पुरी ने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों के नए तरीकों और उनसे बचने के उपायों की जानकारी दी। पुलिस टीम ने सोशल मीडिया फ्रॉड,हनीट्रैप,साइबर बुलिंग और ऑनलाइन स्टॉकिंग जैसे अपराधों के प्रति विद्यार्थियों को सचेत किया। अनजान लोगों से सोशल मीडिया पर दोस्ती करने से बचने तथा फर्जी प्रोफाइल के जरिए ब्लैकमेलिंग के मामलों में तत्काल परिजनों या पुलिस को सूचना देने की सलाह दी गई। इसके अलावा बैंक फ्रॉड को लेकर विद्यार्थियों को OTP, ATM पिन और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति से साझा नहीं करने की हिदायत दी गई। लॉटरी,इनाम या अन्य प्रलोभन वाले संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने तथा अनजान ऐप डाउनलोड करने से बचने के लिए भी जागरूक किया गया।

डीपफेक और एआई के दुरुपयोग से भी सावधान : कार्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते दुरुपयोग और डीपफेक तकनीक के जरिए फोटो एवं आवाज में बदलाव कर किए जाने वाले अपराधों की जानकारी दी गई। विद्यार्थियों को अपनी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सार्वजनिक नहीं करने तथा सोशल मीडिया अकाउंट को प्राइवेट रखने की सलाह दी गई। साथ ही टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन सक्रिय रखने पर जोर दिया गया। पुलिस ने बताया कि साइबर अपराध का शिकार होने पर घबराने के बजाय तत्काल 1930 साइबर हेल्पलाइन पर संपर्क करें अथवा cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

सरगुजा पुलिस के अनुसार जिले के सभी थाना एवं चौकी क्षेत्रों में भी प्रतिदिन साइबर जागृति अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें छात्राओं और महिलाओं को साइबर अपराधों से सतर्क रहने के साथ सुरक्षित डिजिटल व्यवहार की जानकारी दी जा रही है। अभियान के तहत स्वच्छता दीदियों को भी साइबर अपराधों और बचाव के उपायों के संबंध में जागरूक किया गया है।

CMYK

समितियों में नियुक्ति से खाते से भुगतान तक उठे सवाल

समिति आपकी,फैसला हमारा! श्यामलाल सिंह के 'दखल' से सहकारिता में नियम बेबस?

बैंक संभालें या समितियां? श्यामलाल सिंह के बढ़ते दखल पर उठे गंभीर सवाल

एक तरफ करोड़ों के लेन-देन पर सवाल, दूसरी तरफ विवादित नियुक्ति की पैरवी!

समिति में किसे रखना है, किसे हटाना है...क्या अब यह भी तय करेंगे शाखा प्रबंधक?

शिवप्रसादनगर से सोनपुर तक श्यामलाल सिंह की 'मेहरबानी' पर सवाल...

खाते का पैसा हो या कर्मचारी की कुर्सी, श्यामलाल सिंह का हर जगह दखल?

सात महीने पुराने आदेश पर अचानक अमल, विवेक की वापसी में किसकी भूमिका?

एक दिन का कार्यवाहक सचिव,नया रजिस्टर और विवादित बहाली-सोनपुर में क्या खेल?

'कुर्सी' भी हमारी,फैसला भी हमारा? सोनपुर में बहाली पर बवाल

बैंक की निगरानी से समिति की नियुक्ति तक...श्यामलाल सिंह पर क्यों उठ रहे सवाल?

विवेक की बहाली से शिवप्रसादनगर के भुगतान तक...श्यामलाल सिंह की भूमिका जांच के घेरे में...

बैंक की शाखा संभालना या समितियों का संचालन?

सहकारी बैंक की शाखा के स्तर पर शाखा प्रबंधक की भूमिका वित्तीय अनुशासन,बैंकिंग लेन-देन की निगरानी और नियमों के अनुरूप भुगतान सुनिश्चित करने से जुड़ी होती है,लेकिन सोनपुर और शिवप्रसादनगर से जुड़े घटनाक्रमों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या श्यामलाल सिंह समितियों के आंतरिक प्रशासन में जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं? आरोप यह भी है कि समिति में कर्मचारियों की व्यवस्था से लेकर कार्यवाहक सचिव बनाए जाने और बैंक खाते से राशि के भुगतान तक उनकी भूमिका सामान्य बैंकिंग निगरानी से आगे जाती दिखाई देती है,यदि किसी समिति में कर्मचारी रखना या हटाना समिति के सक्षम निकाय का विषय है,तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि शाखा प्रबंधक किस अधिकार के तहत ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करते हैं,इसी तरह समिति के बचत खाते से भुगतान की स्थिति में बैंक की भूमिका यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि भुगतान वैध दस्तावेजों और सक्षम स्वीकृति के आधार पर हो,यहीं से असली सवाल निकलता है–नियमों की निगरानी करने वाला ही यदि निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बन जाए तो निगरानी किसकी होगी?

-ओंकार पाण्डेय-

भैयाथान/सूरजपुर,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की भैयाथान शाखा के शाखा प्रबंधक श्यामलाल सिंह इन दिनों बैंकिंग कामकाज से अधिक समितियों से जुड़े विवादों को लेकर चर्चा में हैं,उनके अधीन आने वाली समितियों में वित्तीय लेनदेन,बचत खातों से भुगतान,कर्मचारियों की नियुक्ति और हटाए गए कर्मचारियों को दोबारा काम पर रखने की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आरोप है कि शाखा प्रबंधक की भूमिका केवल बैंकिंग निगरानी तक सीमित रहने के बजाय समितियों के प्रशासनिक निर्णयों तक पहुंचती दिखाई दे रही है। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि एक ओर शिवप्रसादनगर समिति के बचत खाते से बड़ी राशि के भुगतान और खर्च को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं,वहीं दूसरी ओर सोनपुर समिति में विवेक कुमार चौरसिया को पुनः कार्य पर रखने की प्रक्रिया पर बेरोजगार युवाओं और शिकायतकर्ताओं ने आपत्ति दर्ज कराई है। उपलब्ध शिकायत पत्र में नियुक्ति के विज्ञापन,आवेदन,चयन प्रक्रिया, पूर्व नियुक्ति संबंधी दस्तावेज और सक्षम निकाय की स्वीकृति सहित कई बिंदुओं की जांच की मांग की गई है,इन दोनों घटनाओं को एक साथ देखने पर सवाल यह उठता है कि क्या शाखा प्रबंधक का काम समितियों के बैंक खाते की वित्तीय निगरानी तक है,या फिर समिति में कौन रहेगा,किसे कार्य पर रखा जाएगा और किसे भुगतान किया जाएगा...इन फैसलों में भी उनकी निर्णायक भूमिका है?

शिवप्रसादनगर : खाते में पैसा आया तो खर्च का रास्ता भी खुल गया?- शिवप्रसादनगर धान खरीदी केंद्र के खाते से बड़ी राशि खर्च किए जाने का मामला पहले से सवालों में है,उपलब्ध जानकारी के अनुसार नवंबर 2025 से खाते के स्टेटमेंट में लगातार ऐसे लेन-देन दिखाई देने की बात कही जा रही है, जिनका कुल खर्च लगभग 70 लाख रुपये से अधिक बताया जा रहा है,वहीं पूर्व में यह सवाल उठाया गया था कि यदि धान खरीदी की कुल मात्रा लगभग एक लाख क्विंटल रही और हमाली की राशि किसानों को मिलने वाली थी, तो समिति के खाते से इतनी बड़ी राशि आखिर किस मद में खर्च हुई? यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि खाते से राशि निकलना अपने आप में भ्रष्टाचार का प्रमाण नहीं है,लेकिन यदि निकासी बड़ी है और उसके सामने वास्तविक खर्च,बिल,वाउचर,स्वीकृति,मजदूरी भुगतान अथवा अन्य वैध मद स्पष्ट नहीं हैं,तो उसका ऑडिट और जांच होना जरूरी है,सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि बैंक खाते से राशि निकलते समय क्या बैंक ने भुगतान के दस्तावेजों की वैधता और सक्षम स्वीकृति की जांच की? यदि भुगतान नियमों के अनुरूप था तो संबंधित बिल-वाउचर और स्वीकृति रिकॉर्ड सामने आने चाहिए,यदि भुगतान नियमों के विरुद्ध था तो बैंक स्तर पर उसे रोकने अथवा आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया क्या अपनाई गई...यह भी जांच का विषय है।

हमाली का पैसा किसान दे रहा,फिर समिति के खाते में खर्च किस बात का?- धान खरीदी केंद्रों पर हमाली और श्रम से जुड़े भुगतान को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं,आरोप है कि किसानों से धान की हमाली का भुगतान स्वयं कराया जाता रहा है,जबकि दूसरी ओर समितियों के खाते में हमाली अथवा अन्य मदों के नाम पर राशि आती और खर्च दिखाई जाती है,यदि वास्तव में मजदूरों को भुगतान किसान स्वयं कर रहे थे,तो समिति के खाते से संबंधित मद में निकाली गई राशि का वास्तविक उपयोग क्या हुआ? क्या मजदूरों को दोहरा भुगतान हुआ? क्या भुगतान उन्हीं मजदूरों को किया गया जिनका नाम रजिस्टर में दर्ज है? क्या मजदूरों की संख्या और धान की मात्रा के अनुपात में भुगतान उचित है? क्या भुगतान की रसीदें और हस्ताक्षर उपलब्ध हैं? और सबसे अहम...क्या बैंक ने इन दस्तावेजों का परीक्षण किया? इन सवालों के जवाब केवल बैंक स्टेटमेंट से नहीं मिलेंगे,इसके लिए समिति का कैशबुक,लेजर, वाउचर,मजदूरी रजिस्टर,धान खरीदी का रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट एक साथ मिलाना होगा।

'पैसा समिति का,नजर बैंक की'...फिर जवाबदेही किसकी?- सहकारी समितियों के बचत खाते में बड़ी रकम का लेन-देन होता है,ऐसे में बैंक शाखा के पास खातों की गतिविधियों की जानकारी रहती है,समिति कितनी राशि निकाल रही है,किस प्रकार के भुगतान हो रहे हैं और किन दस्तावेजों के आधार पर भुगतान हो रहा है...यह सब बैंकिंग प्रक्रिया का हिस्सा है,यही वजह है कि यदि किसी समिति के खाते से असामान्य रूप से बड़ी रकम निकलती है तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि क्या बैंक शाखा ने उसे सामान्य लेन-देन माना या कोई विशेष आपत्ति दर्ज की? यदि भुगतान नियमों के अनुसार थे तो शाखा प्रबंधक को दस्तावेज दिखाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए,लेकिन यदि दस्तावेजों में कमी थी और फिर भी भुगतान होते रहे, तो वित्तीय निगरानी की जिम्मेदारी पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

सोनपुर में विवेक चौरसिया की वापसी...यहां मामला और पेचीदा- सोनपुर समिति में विवेक कुमार चौरसिया को पुनः कार्य पर रखने की प्रक्रिया ने विवाद को और गंभीर बना दिया है, 17 अगस्त 2026 को कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत शिकायत में कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं,शिकायत में कहा गया है कि समिति से संबंधित उच्च कार्यालय द्वारा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर पद पर नियुक्ति का विज्ञापन जारी नहीं किया गया,समिति कार्यक्षेत्र के किसी अभ्यर्थी से आवेदन नहीं लिया गया और बाहरी व्यक्ति को नियुक्त किए जाने पर आपत्ति है, शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि समिति के अधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबंधक श्यामलाल सिंह द्वारा विवेक कुमार चौरसिया को लेकर सात माह पुराने आदेश का हवाला देते हुए 7 अगस्त 2026 को संचालक मंडल की बैठक कर उन्हें पुनः कार्य में रखने की कार्रवाई की गई, यहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है...यदि सात माह पुराने आदेश पर कार्रवाई करनी थी तो सात महीने तक वह आदेश लागू क्यों नहीं हुआ? और यदि आदेश का पालन नहीं हुआ था तो उस अवधि में उच्च कार्यालय से नया निर्देश क्यों नहीं लिया गया?

एक दिन का कार्यवाहक सचिव और फिर बड़ा फैसला!- शिकायतकर्ता का आरोप है कि विवेक चौरसिया को पुनः कार्य पर रखने की कार्रवाई के लिए एक ऐसे व्यक्ति को एक दिन के लिए कार्यवाहक सचिव बनाया गया, जिसकी अपनी नियुक्ति और भूमिका को लेकर भी विवाद बताया जा रहा है,यदि यह तथ्य रिकॉर्ड से प्रमाणित होता है तो यह जांच का अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु होगा कि कार्यवाहक सचिव की नियुक्ति कब हुई,कितने समय के लिए हुई,उसे किस आदेश से अधिकार मिला और क्या उसी अधिकार के आधार पर विवेक चौरसिया की पुनर्नियुक्ति संबंधी कार्यवाही की गई? क्योंकि किसी व्यक्ति को सिर्फ एक दिन के लिए कार्यवाहक सचिव बनाकर उसी दिन संवेदनशील प्रशासनिक फैसला करा देना सामान्य प्रक्रिया है या विशेष परिस्थिति–इसका जवाब समिति के रिकॉर्ड से ही मिलना चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल...पुराना रजिस्टर कहां गया?- शिकायत में एक और महत्वपूर्ण आरोप कार्यवाही रजिस्टर को लेकर है, आरोप है कि समिति के पास पहले से कार्यवाही रजिस्टर मौजूद होने के बावजूद नई कार्यवाही के लिए नया रजिस्टर तैयार किया गया,यदि ऐसा हुआ है तो सवाल सीधा है...पुराना रजिस्टर किसके पास था? उसमें क्या दर्ज था? नई कार्यवाही पुराने रजिस्टर में क्यों नहीं की गई? नया रजिस्टर किसके आदेश से खोला गया? किसी समिति के संचालक मंडल की कार्यवाही रजिस्टर महज सामान्य कॉपी नहीं होती,उसमें समिति के महत्वपूर्ण निर्णय दर्ज होते हैं, इसलिए किसी पुराने रजिस्टर को छोड़कर नया रजिस्टर खोलने की स्थिति में उसका कारण और अनुमति रिकॉर्ड में होना चाहिए,यही वह बिंदु है जहां 'जल्दी में हुई कार्रवाई' और 'जानबूझकर की गई प्रक्रिया' के बीच अंतर जांच से ही सामने आएगा।

नियुक्ति का मूल दस्तावेज कहां है?- विवेक चौरसिया की नियुक्ति को लेकर शिकायत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि यदि उनकी मूल नियुक्ति वैधानिक थी तो...नियुक्ति आदेश कहां है? विज्ञापन कहां है? आवेदन कहां हैं? चयन प्रक्रिया कहां है? चयन समिति की कार्यवाही कहां है? समिति के सक्षम निकाय की स्वीकृति कहां है? और यदि ये दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं तो फिर उन्हें कर्मचारी मानकर पुनः कार्य पर रखने का आधार क्या था? शिकायत पत्र में इन्हीं दस्तावेजों के परीक्षण और सत्यापन की मांग की गई है।

सात महीने पुराना आदेश अचानक 'जिंदा' कैसे हो गया?- पूरे मामले का सबसे दिलचस्प पहलू सात महीने पुराने आदेश को लेकर है,शिकायतकर्ता का कहना है कि उच्च कार्यालय का आदेश पहले ही जारी हो चुका था, लेकिन उस पर तत्काल कार्रवाई नहीं हुई, बाद में जब श्यामलाल सिंह को शाखा प्रबंधक के साथ प्राधिकृत अधिकारी का प्रभार मिला,तब उसी पुराने आदेश के आधार पर विवेक चौरसिया को पुनः कार्य पर रखने की कार्रवाई हुई,यदि यह क्रम सही है तो जांच का सवाल केवल यह नहीं है कि आदेश क्या था,बल्कि यह भी है कि उस आदेश का पालन सात महीने तक क्यों नहीं हुआ और फिर प्राधिकृत अधिकारी बदलने के बाद उसी आदेश को अचानक क्यों लागू किया गया? क्या इस बीच किसी अधिकारी ने आदेश पर अमल रोक रखा था? क्या कोई जवाब/ स्पष्टी करण मांगा गया था? क्या उच्च कार्यालय को इसकी जानकारी दी गई? क्या बाद में नई परिस्थिति में आदेश लागू करने की अनुमति ली गई? इन सवालों के जवाब बिना पूरी फाइल देखे नहीं दिए जा सकते।

अपने ही हाथ में चाबी,अपने ही हाथ में ताला' वाली स्थिति?- शिकायतों और सामने आए घटनाक्रम को लेकर सबसे बड़ा संस्थागत सवाल यही है कि यदि शाखा प्रबंधक ही बैंकिंग निगरानी से जुड़े अधिकारी हैं और किसी परिस्थिति में वही समिति के प्राधिकृत अधिकारी का दायित्व भी संभाल रहे हैं,तो हितों के टकराव की स्थिति पैदा होती है या नहीं? यह कानूनी निष्कर्ष नहीं,बल्कि जांच का प्रश्न है, क्योंकि यदि एक ही व्यक्ति समिति के प्रशासनिक निर्णय में भूमिका निभाए,फिर उसी समिति के बैंक खाते से होने वाले वित्तीय लेन-देन की बैंकिंग प्रक्रिया भी उसी शाखा के अधीन हो, तो पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी की जरूरत महसूस होना स्वाभाविक है।

विवेक से 'हमदर्दी' या नियमों की अनदेखी?- विवेक चौरसिया की वापसी को लेकर सबसे तीखा सवाल यही है कि यदि समिति के पास उनकी नियुक्ति का स्पष्ट मूल दस्तावेज मौजूद है और उनकी सेवा वैधानिक रूप से समाप्त नहीं हुई थी,तो उसे सार्वजनिक करने में क्या परेशानी है?और यदि मूल नियुक्ति का दस्तावेज ही उपलब्ध नहीं है,तो फिर उन्हें पुनः कार्य पर रखने की इतनी जल्दी क्यों? शिकायतकर्ता इसी आधार पर आरोप लगा रहे हैं कि नियमों और पूर्व नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण किए बिना कार्रवाई की गई,आरोप सही है या नहीं, यह जांच का विषय है,लेकिन नियुक्ति से संबंधित मूल रिकॉर्ड सामने आ जाए तो आधे सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे।

अब सवाल शाखा प्रबंधक से नहीं,पूरी व्यवस्था से है- यह मामला केवल श्यामलाल सिंह और विवेक चौरसिया तक सीमित नहीं है,सवाल सहकारी संस्थाओं की उस प्रशासनिक व्यवस्था का है जिसमें किसान का पैसा, समिति का खाता और कर्मचारियों की नियुक्ति–तीनों एक-दूसरे से जुड़े हैं,यदि शिवप्रसादनगर समिति के खाते से बड़ी राशि का भुगतान हुआ है तो उसका पूरा हिसाब सामने आना चाहिए,यदि किसानों से हमाली का भुगतान कराया गया और फिर समिति के खाते से उसी मद में राशि निकाली गई तो उसका सत्यापन होना चाहिए,यदि सोनपुर में हटाए गए कर्मचारी को फिर कार्य पर रखा गया तो उसकी मूल नियुक्ति फाइल सामने आनी चाहिए,यदि सात महीने पुराने आदेश पर कार्रवाई की गई तो सात महीने की देरी का कारण स्पष्ट होना चाहिए,यदि नया कार्यवाही रजिस्टर बनाया गया तो पुराने रजिस्टर की स्थिति सामने आनी चाहिए,और यदि एक दिन के कार्यवाहक सचिव के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णय कराया गया तो उसके अधिकार और वैधानिकता की जांच होनी चाहिए।

अब जांच हो तो बैंक स्टेटमेंट से लेकर कार्यवाही रजिस्टर तक सब खुले- पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए शिवप्रसादनगर और सोनपुर समितियों के बैंक स्टेटमेंट,कैशबुक,लेजर,भुगतान वाउचर, समिति कार्यवाही रजिस्टर,नियुक्ति एवं सेवा संबंधी फाइल,धान खरीदी रिकॉर्ड,मजदूरी भुगतान रिकॉर्ड तथा संबंधित अधिकारियों के आदेश का मिलान जरूरी है,इसके साथ यह भी जांचना होगा कि किस अधिकारी ने कौन सा आदेश जारी किया,किस अधिकारी ने उसका पालन कराया और किस स्तर पर वित्तीय अथवा प्रशासनिक स्वीकृति दी गई,क्योंकि यदि आरोप गलत हैं तो दस्तावेज उन्हें खारिज कर देंगे,और यदि दस्तावेज सवालों की पुष्टि करते हैं तो फिर जवाबदेही तय करने में देर नहीं होनी चाहिए।

आखिर शाखा प्रबंधक की भूमिका कितनी?- श्यामलाल सिंह पर लगाए जा रहे आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि जांच के बिना नहीं की जा सकती,इसलिए उनसे और संबंधित समिति प्रबंधन से यह पूछना भी जरूरी है कि विवेक चौरसिया की मूल नियुक्ति का आदेश क्या है,सात महीने पुराने आदेश पर तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं हुई,प्राधिकृत अधिकारी बदलने के बाद उसी आदेश पर पुनः कार्रवाई क्यों की गई,नया कार्यवाही रजिस्टर क्यों बनाया गया और शिवप्रसादनगर समिति के खाते से हुई बड़ी निकासी किन-किन वैध मदों में खर्च हुई,इन सवालों के जवाब मिलना जरूरी है,क्योंकि सहकारी समिति में किसान का पैसा और संस्था की संपत्ति किसी व्यक्ति की निजी सुविधा नहीं हो सकती,अब असली परीक्षा यह है कि जांच कागजों पर होगी या कागजों को ही जांच से बचाया जाएगा।

बसों में मनमाना किराया वसूलने वालों पर होगी कार्रवाई,किराया सूची चस्पा करना अनिवार्य

बैठक में सख्त निर्देश,अब यात्रियों से तय दर से अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई,सवाल...नियम पहले से थे तो निगरानी अब क्यों?

-संवाददाता-

बलरामपुर,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। यात्री बसों में निर्धारित किराए से अधिक वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों के बीच पुलिस और प्रशासन ने बस संचालकों पर शिकंजा कसने की तैयारी की है। गुरुवार को यातायात शाखा बलरामपुर में आयोजित बैठक में बस मालिकों और चालकों को शासन द्वारा निर्धारित किराया दरों की जानकारी देते हुए स्पष्ट निर्देश दिया गया कि यात्रियों से तय दर से अधिक किराया नहीं लिया जाए। साथ ही प्रत्येक बस में किराया सूची प्रमुखता से चस्पा करना अनिवार्य किया गया है। सरगुजा रेंज के पुलिस

महानिरीक्षक दीपक कुमार झा एवं बलरामपुर-रामानुजगंज पुलिस अधीक्षक वैभव बैंकर के निर्देशन में तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विश्व दीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन में आयोजित बैठक में जिला परिवहन अधिकारी यशवंत यादव और यातायात प्रभारी विमलेश कुमार देवांगन ने बस संचालकों को नई निर्धारित किराया दरों की जानकारी दी।

किराया तय,लेकिन वसूली पर निगरानी कितनी? शासन द्वारा निर्धारित किराया दर के अनुसार साधारण बस में शुरुआती 5 किलोमीटर तक 8 प्रति यात्री तथा इसके बाद 1 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित है। वहीं डीलक्स और स्लीपर कोच में शुरुआती 5 किलोमीटर तक 8 तथा इसके बाद 3 प्रति यात्री प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की गई है। इसके बावजूद यदि यात्रियों से अधिक किराया वसूले जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं तो सबसे बड़ा सवाल नियमों के अस्तित्व से ज्यादा उनके पालन की निगरानी को लेकर है। किराया सूची बसों में चस्पा करने का निर्देश निश्चित रूप से यात्रियों के लिए उपयोगी है, लेकिन क्या परिवहन विभाग नियमित रूप से बसों की जांच करेगा? क्या शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई होगी या औचक जांच की व्यवस्था भी की जाएगी?

सूची लगाना जरूरी,यात्रियों को जानकारी देना उससे भी जरूरी : किराया सूची चस्पा होने से यात्रियों को यह पता चल सकेगा कि उन्हें किस दूरी के लिए कितना भुगतान करना है। इससे मनमानी वसूली पर रोक लगाने में मदद मिल सकती है। लेकिन ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में सफर करने वाले कई यात्रियों को निर्धारित दरों की जानकारी ही नहीं होती।

शराब के नशे में बाइक चलाना पड़ा महंगा चालक पर 10 हजार रुपए का जुर्माना

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सरगुजा पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शराब के नशे में मोटरसाइकिल चलाने वाले चालक को न्यायालय ने 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के निर्देशन में यातायात पुलिस द्वारा वाहन जांच के दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक सीजे-13-बीएन-1984 को रोककर चालक से पूछताछ की गई। चालक ने अपना नाम फूल किशोर पैकरा,पिता कामेश्वर पैकरा,निवासी बागबहार,जिला जशपुर बताया। जांच के दौरान चालक के शराब के नशे में होने का संदेह होने पर ब्रेथ एनालाइजर से परीक्षण किया गया, जिसमें उसके शराब के नशे में वाहन चलाने की पुष्टि हुई। इसके बाद यातायात पुलिस ने धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को न्यायालय के समक्ष पेश किया।

मामले की सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने वाहन चालक को 10,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शराब के नशे में वाहन चलाना स्वयं चालक के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के लिए भी गंभीर खतरा है।

बैकुंठपुर और खड़गवां परियोजना में व्यवस्था पर गंभीर सवाल

■ कहीं सहायिका के भरोसे केंद्र,कहीं समय से पहले बंद होने की शिकायत

■ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और पोषण आहार वितरण के रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच की मांग

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां/कोरिया,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

बच्चों के पोषण,स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाली आंगनबाड़ी व्यवस्था को लेकर बैकुंठपुर और खड़गवां परियोजना में गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आ रही शिकायतों के मुताबिक कई आंगनबाड़ी केंद्रों में रजिस्टर पर बच्चों की संख्या 18 से 20 तक दर्ज है, जबकि केंद्र में वास्तविक रूप से पहुंचने वाले बच्चों की संख्या कई बार महज 2 से 6 तक ही रहने का दावा किया जा रहा है। यदि यह स्थिति जांच में सही पाई जाती है तो यह केवल बच्चों की कम उपस्थिति का मामला नहीं होगा, बल्कि आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी,उपस्थिति पंजी,पोषण आहार वितरण और विभागीय निरीक्षण व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करेगा, बैकुंठपुर परियोजना के बचरा पोड़ी क्षेत्र से लेकर खड़गवां परियोजना के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों तक ऐसी शिकायतें सामने आने की बात कही जा रही है,स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ केंद्र नियमित समय तक संचालित नहीं होते और निर्धारित समय से पहले बंद कर दिए जाने की स्थिति भी देखने को मिलती है,हालांकि इन आरोपों की विभागीय पुष्टि होना अभी बाकी है।

रजिस्टर में बच्चे ज्यादा, केंद्र में उपस्थिति कम-आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का पंजीयन इसलिए किया जाता है ताकि उन्हें नियमित रूप से पूरक पोषण आहार,प्रारंभिक शिक्षा,स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और अन्य योजनाओं का लाभ मिल सके। लेकिन यदि रजिस्टर में दर्ज बच्चों और केंद्र में उपस्थित बच्चों की संख्या में लगातार बड़ा अंतर बना हुआ है तो यह जांच का विषय है, स्थानीय सूत्रों का दावा है कि कुछ केंद्रों में 18-20 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन निरीक्षण या सामान्य दिनों में केंद्र में केवल 2-6 बच्चे ही दिखाई देते हैं, ऐसे में कई सवाल सामने आते हैं की क्या रजिस्टर में दर्ज सभी बच्चे वास्तव में केंद्र से जुड़े हुए हैं? क्या वे नियमित रूप से केंद्र आते हैं? यदि नहीं आते तो उनकी अनुपस्थिति का कारण क्या है? क्या उपस्थिति पंजी में वास्तविक उपस्थिति दर्ज की जा रही है? क्या पोषण आहार का वितरण वास्तविक उपस्थिति के अनुरूप हो रहा है? क्या टेक-होम राशन एवं अन्य सामग्री के वितरण का भौतिक सत्यापन किया जाता है? इन सवालों का जवाब केवल कार्यालय में रखे रिकॉर्ड से नहीं, बल्कि अचानक मौके पर पहुंचकर बच्चों और अभिभावकों का सत्यापन करने से ही मिल सकता है।

सहायिका के भरोसे केंद्र संचालन का आरोप

कुछ केंद्रों को लेकर स्थानीय स्तर पर यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि वहां कई बार केंद्र का संचालन सिर्फ सहायिका के भरोसे रह जाता है, वहीं संबंधित कार्यकर्ताओं की नियमित उपस्थिति को लेकर भी ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं, स्थानीय लोगों के अनुसार कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र में अपनी उपस्थिति की फोटो संबंधित ग्रुप में भेजने के बाद अन्य स्थानों पर जाने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं,हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र एवं आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है,इसलिए इनकी वास्तविकता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी,लेकिन यदि किसी केंद्र में कार्यकर्ता की वास्तविक उपस्थिति और रिकॉर्ड में दर्ज उपस्थिति में अंतर पाया जाता है तो यह विभागीय जांच का गंभीर विषय होगा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केवल उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं,बल्कि बच्चों की देखभाल, प्रारंभिक शिक्षा,पोषण संबंधी गतिविधियों और विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इसलिए उनकी वास्तविक उपस्थिति का सत्यापन जरूरी है।

मुख्यालय के मुख्य मार्ग पर ही सवाल तो दूरस्थ गांवों का क्या?

इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह बताई जा रही है कि ऐसी शिकायतें केवल अत्यंत दूरस्थ गांवों तक सीमित नहीं हैं, परियोजना मुख्यालय के आसपास और मुख्य मार्ग से जुड़े केंद्रों की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं,यदि मुख्यालय के आसपास स्थित केंद्रों में ही बच्चों की उपस्थिति, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और केंद्र संचालन को लेकर शिकायतें सामने आ रही हैं तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति की भी गंभीरता से जांच की आवश्यकता है,दूरस्थ क्षेत्रों में विभागीय अधिकारियों का नियमित निरीक्षण अपेक्षाकृत कठिन हो सकता है,ऐसे में वहां अचानक निरीक्षण और ग्राम स्तर पर सत्यापन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

'विरोध किया तो फंसा देंगे' ग्रामीणों में भय का आरोप

मामले का एक और गंभीर पहलू स्थानीय ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे कथित आरोप हैं, सूत्रों के अनुसार कुछ ग्रामीणों ने जब आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए तो उन्हें कथित तौर पर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दिए जाने की बात सामने आई है,इन आरोपों की भी फिलहाल कोई स्वतंत्र या आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है,ऐसे में प्रशासन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि यदि ऐसी शिकायतें वास्तव में प्राप्त हुई हैं तो उनकी निष्पक्ष जांच कराई जाए,किसी भी सरकारी व्यवस्था में नागरिकों को अपनी शिकायत रखने और अनियमितता की जानकारी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का अधिकार होना चाहिए,यदि शिकायतकर्ता भय के कारण सामने नहीं आते हैं तो जमीनी स्थिति की वास्तविक जानकारी अधिकारियों तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है।

सुपरवाइजर की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल

आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी में सेक्टर सुपरवाइजर की भूमिका महत्वपूर्ण होती है,उन्हें केंद्रों का निरीक्षण कर कार्यकर्ताओं की उपस्थिति,बच्चों की संख्या, पोषण आहार, रिकॉर्ड और केंद्र संचालन की स्थिति की जानकारी लेना होता है, ऐसे में यदि किसी केंद्र में लंबे समय से बच्चों की संख्या बेहद कम है, केंद्र समय से पहले बंद होने की शिकायत है या कार्यकर्ता की अनुपस्थिति को लेकर सवाल हैं, तो यह जानना जरूरी होगा कि संबंधित सुपरवाइजर के निरीक्षण में क्या स्थिति सामने आई, स्थानीय स्तर पर कुछ लोगों द्वारा सुपरवाइजरों की कार्रवाई को लेकर पक्षपात अथवा'मुंह देखकर कार्रवाई' किए जाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं,इन आरोपों की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है,लेकिन इन्हें दूर करने का सबसे बेहतर तरीका पारदर्शी निरीक्षण और कार्रवाई का रिकॉर्ड सार्वजनिक करना हो सकता है।

पोषण आहार के रिकॉर्ड का हो मिलान

पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण जांच बच्चों की संख्या और पोषण आहार वितरण के रिकॉर्ड का मिलान करके की जा सकती है, यदि किसी केंद्र में 20 बच्चे पंजीकृत हैं और नियमित रूप से 2-6 बच्चे ही आते हैं तो विभाग को यह देखना चाहिए कि प्रतिदिन कितने बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई? कितने बच्चों के लिए पोषण आहार तैयार या वितरित किया गया? टेक-होम राशन कितने लाभार्थियों को दिया गया? संबंधित अभिभावकों को वास्तव में राशन मिला या नहीं? पिछले छह महीने अथवा एक वर्ष की उपस्थिति का पैटर्न क्या रहा? क्या रिकॉर्ड और जमीनी स्थिति में कोई अंतर है? इन बिंदुओं पर रिकॉर्ड का ऑडिट और भौतिक सत्यापन होने पर काफी हद तक वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है।

अचानक निरीक्षण ही खोलेगा 'कागजी बच्चों' का राज

यदि विभाग वास्तव में स्थिति स्पष्ट करना चाहता है तो नियमित पूर्व निर्धारित निरीक्षण के बजाय अचानक निरीक्षण सबसे प्रभावी तरीका हो सकता है,अधिकारी किसी भी केंद्र में बिना पूर्व सूचना पहुंचकर वहां मौजूद बच्चों की संख्या दर्ज करें,बच्चों के अभिभावकों से संपर्क करें,उपस्थिति रजिस्टर से मिलान करें और कार्यकर्ता-सहायिका की वास्तविक मौजूदगी देखें। साथ ही पोषण आहार एवं अन्य सामग्री के रिकॉर्ड की भी जांच की जाए,जरूरत पड़ने पर पिछले कई महीनों के रिकॉर्ड का भी परीक्षण किया जा सकता है। इससे यह पता चल सकेगा कि कम उपस्थिति कोई अस्थायी स्थिति है या लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था।

जिम्मेदारी तय करने की जरूरत

आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था में कार्यकर्ता से लेकर सहायिका,सुपरवाइजर और परियोजना अधिकारी तक सभी की अलग-अलग जिम्मेदारियां निर्धारित हैं,यदि किसी जांच में अनियमितता सामने आती है तो केवल निचले स्तर के कर्मचारी पर कार्रवाई करने के बजाय यह भी देखा जाना चाहिए कि निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाले अधिकारियों ने समय रहते स्थिति क्यों नहीं पकड़ी, यदि रिकॉर्ड सही है तो विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि केंद्रों में बच्चों की वास्तविक उपस्थिति इतनी कम क्यों है, यदि रिकॉर्ड और वास्तविकता में अंतर है तो इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति या व्यवस्था की पहचान होनी चाहिए।

अब विभाग के सामने कई सवाल

बैकुंठपुर और खड़गवां परियोजना से जुड़ी शिकायतों के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के सामने कई सवाल खड़े हैं, क्या विभाग सभी केंद्रों का विशेष निरीक्षण कराएगा? क्या रजिस्टर में दर्ज बच्चों का घर-घर सत्यापन होगा? क्या उपस्थिति और पोषण आहार वितरण के रिकॉर्ड का मिलान किया जाएगा? क्या कार्यकर्ताओं की वास्तविक उपस्थिति की जांच होगी? और यदि आरोप गलत हैं तो विभाग ग्रामीणों की शिकायतों का समाधान किस तरह करेगा? आखिर जब रजिस्टर में 18-20 बच्चे दर्ज हैं और केंद्र में 2-6 बच्चे ही दिखाई देने की शिकायत है, तो बाकी बच्चे कहां हैं? यह सवाल किसी एक आंगनबाड़ी केंद्र का नहीं, बल्कि पूरी निगरानी व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा है। अब देखना होगा कि विभाग इन शिकायतों को महज आरोप मानकर छोड़ देता है या फिर मौके पर जांच कर वास्तविक स्थिति सामने लाता है।

कहीं दो बच्चों में चल रहा केंद्र!

शिकायतों में यह भी बात सामने आ रही है कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में लंबे समय से बच्चों की संख्या बेहद कम बताई जा रही है,कहीं-कहीं तो महज दो बच्चों की मौजूदगी में केंद्र संचालित होने की चर्चा है,यदि किसी केंद्र में लगातार इतनी कम उपस्थिति रहती है तो विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी वजह पता करनी चाहिए,क्या संबंधित गांव के बच्चे स्कूल जाने लगे हैं? क्या अभिभावक बच्चों को आंगनबाड़ी भेजना नहीं चाहते? क्या केंद्र की सेवाओं से ग्रामीण संतुष्ट नहीं हैं? या फिर केंद्र में कार्यकर्ता की नियमित उपस्थिति नहीं होने के कारण बच्चों की संख्या कम हुई है? इन सभी पहलुओं की जांच आवश्यक है,क्योंकि बच्चों की कम उपस्थिति को केवल बच्चों की अनुपस्थिति मानकर छोड़ देना भी उचित नहीं होगा। यदि लगातार कई वर्षों से किसी केंद्र में कम बच्चे पहुंच रहे हैं तो परियोजना अधिकारी और सेक्टर सुपरवाइजर की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठेंगे।

समय से पहले बंद हो रहे केंद्र?

ग्रामीणों की शिकायतों में एक और महत्वपूर्ण आरोप आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्धारित समय से पहले बंद होने का है,यदि केंद्र समय से पहले बंद होते हैं तो इसका सीधा असर बच्चों की सेवाओं पर पड़ सकता है,विशेष रूप से उन परिवारों के बच्चों पर, जिनके लिए आंगनबाड़ी ही पोषण और प्रारंभिक शिक्षा का प्रमुख केंद्र है,इस स्थिति में यह भी जांच की जरूरत है कि संबंधित केंद्रों के खुलने और बंद होने का वास्तविक समय क्या है और क्या निरीक्षण के दौरान अधिकारियों द्वारा इसका सत्यापन किया जाता है,यदि विभागीय रिकॉर्ड में केंद्र पूरे समय संचालित दिखाए जा रहे हों,जबकि मौके पर स्थिति अलग हो,तो यह रिकॉर्ड और वास्तविकता के बीच अंतर का मामला बन सकता है।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

पोस्टर प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिया मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का संदेश,टेली-मानस हेल्पलाइन 14416 की दी जानकारी

-संवाददाता-

सूरजपुर,10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम,जिला सूरजपुर के अंतर्गत जिला चिकित्सालय सूरजपुर के सभाकक्ष में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया,कार्यक्रम का उद्देश्य आत्महत्या रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने,मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने तथा मानसिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को समय पर आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. के.डी. पैकरा ने कहा कि आत्महत्या की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है,बल्कि परिवार, शिक्षण संस्थानों और समाज के प्रत्येक व्यक्ति की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है,उन्होंने कहा कि मानसिक परेशानी के शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचानकर संवेदनशील सहयोग और उचित उपचार उपलब्ध कराया जाए तो गंभीर परिस्थितियों को रोकने में मदद मिल सकती है, उन्होंने लोगों से मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं पर बिना झिझक खुलकर बात करने तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ से परामर्श लेने की अपील की।

मानसिक परेशानी को नजरअंदाज न करने की सलाह-मनोचिकित्सक डॉ. अंकित शर्मा ने मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्महत्या रोकथाम से जुड़े चिकित्सकीय पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानसिक परेशानी की समय पर पहचान और उचित उपचार बेहद महत्वपूर्ण है,उन्होंने बताया कि लगातार तनाव, चिंता,अवसाद,निराशा, नींद में बदलाव तथा व्यवहार में अचानक परिवर्तन जैसे लक्षणों को सामान्य मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यदि ऐसे लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं तो व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए, डॉ. शर्मा ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति में आत्महत्या से संबंधित विचार दिखाई दें तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए,ऐसे समय में परिवार और समाज को संवेदनशीलता एवं सहानुभूति के साथ व्यक्ति का सहयोग करते हुए तत्काल विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाना चाहिए,उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को छिपाने के बजाय समय पर उपचार एवं परामर्श लेने के लिए लोगों को प्रेरित किया।

व्यवहार में बदलाव को गंभीरता से लेने की जरूरत-कार्यक्रम के दौरान नोडल अधिकारी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉ. राजेश पैकरा ने विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस के महत्व पर प्रकाश डाला,उन्होंने कहा कि आत्महत्या के पीछे विभिन्न मनोवैज्ञानिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिस्थितियां हो सकती हैं। इसलिए किसी व्यक्ति के व्यवहार में होने वाले बदलावों को गंभीरता से समझना जरूरी है, उन्होंने बताया कि अत्यधिक निराशा, सामाजिक दूरी बनाना, स्वयं को दूसरों पर बोझ समझना अथवा मृत्यु एवं आत्महत्या से संबंधित बातें करना जैसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, समय पर ऐसे संकेतों की पहचान, उचित सहयोग और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ाव आत्महत्या रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

पोस्टर प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिया संदेश-जागरूकता कार्यक्रम के दौरान पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, इसमें वी.एम. नर्सिंग कॉलेज एवं आईआरआरसी नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की, विद्यार्थियों ने अपने पोस्टरों के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य,आत्महत्या रोकथाम,तनाव प्रबंधन,सकारात्मक सोच, पारिवारिक एवं सामाजिक सहयोग और समय पर सहायता लेने जैसे विषयों को रचनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया,पोस्टरों के माध्यम से विद्यार्थियों ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों पर चुप रहने के बजाय परिवार और समाज के लोगों से संवाद करना चाहिए तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ की सहायता लेनी चाहिए, प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार एवं प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

14416 टेली-मानस हेल्पलाइन की दी जानकारी

कार्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता के लिए टेली-मानस हेल्पलाइन नंबर 14416 की जानकारी भी दी गई, लोगों को बताया गया कि तनाव, चिंता, अवसाद, भावनात्मक परेशानी अथवा आत्महत्या से संबंधित विचार जैसी परिस्थितियों में समस्या को छिपाने या नजरअंदाज करने के बजाय समय पर सहायता लेना आवश्यक है, इसके साथ ही जिला चिकित्सालय सूरजपुर स्थित स्पर्श क्लिनिक,ओपीडी क्रमांक 60 में उपलब्ध मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी भी दी गई,जरूरतमंद लोगों को वहां परामर्श, उपचार एवं आवश्यक मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया।

सामूहिक प्रयास से ही संभव है रोकथाम

कार्यक्रम में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर समाज में मौजूद झिझक और भ्रांतियों को दूर करना जरूरी है,किसी व्यक्ति के मानसिक तनाव या भावनात्मक परेशानी को कमजोरी समझने के बजाय उसे समझना और आवश्यक सहयोग देना आत्महत्या रोकथाम की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है,उन्होंने कहा कि परिवार के सदस्य,मित्र,शिक्षक,सहकर्मी और समाज के अन्य लोग यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार में गंभीर बदलाव को समय रहते पहचानें और उसे उचित सहायता से जोड़ें तो कठिन परिस्थितियों में उसे सहारा मिल सकता है,कार्यक्रम में सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. अजय मरकाम,जिला कार्यक्रम प्रबंधक,मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी,नर्सिंग सिस्टर तथा जिला चिकित्सालय के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनकपुर में गूंजा कान्हा का जयकारा

भव्य दही हांडी प्रतियोगिता में जनकपुर की टीम विजेता

छह टीमों ने लिया रोमांचक मुकाबले में हिस्सा, विजेता को 25 हजार रुपए और ट्रॉफी से किया गया सम्मानित; देर रात तक उमड़ा जनसैलाब

-संवाददाता-
जनकपुर, 10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के अवसर पर कृष्णजन्मोत्सव समिति जनकपुर के तत्वावधान में बुधवार को हनुमान मंदिर प्रांगण में भव्य दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। धार्मिक आस्था, उत्साह और रोमांच से सराबोर इस आयोजन में भरतपुर ब्लॉक क्षेत्र की छह टीमों ने हिस्सा लिया। देर रात तक चले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं दर्शक मौजूद रहे। दही हांडी प्रतियोगिता के दौरान पूरा मंदिर परिसर कान्हा के जयकारों और तालियों की गूंज से गुंजायमान रहा। प्रतियोगिता में जनकपुर,तोजा,चिडौला,घघरा,जोलगी और भगवानपुर की टीमों ने हिस्सा लिया। टीमों ने दही हांडी फोड़ने के लिए सामूहिक शक्ति, तालमेल और उत्साह का प्रदर्शन किया,जैसे-जैसे टीमें एक के बाद एक मैदान में उतरीं, वैसे-वैसे दर्शकों का उत्साह भी बढ़ता गया। प्रतिभागी टीमों के प्रयासों के दौरान दर्शक तालियों और जयकारों के साथ उनका हौसला बढ़ाते नजर आए।

भजनों और गीतों ने बांधा समां

दही हांडी प्रतियोगिता के साथ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा, अन्ना इवेंट बिलासपुर की ऑर्केस्ट्रा टीम ने देर रात तक भजनों एवं लोकप्रिय गीतों की प्रस्तुतियां दीं,कलाकारों की प्रस्तुति पर दर्शक झूमते नजर आए,भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के धार्मिक वातावरण के बीच संगीत और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने आयोजन में चार चांद लगा दिए,बच्चों, युवाओं और महिलाओं में भी कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह रहा।

हनुमान मंदिर परिसर में उमड़ा जनसैलाब

कार्यक्रम के दौरान हनुमान मंदिर परिसर और आसपास का क्षेत्र लोगों से भरा रहा। दही हांडी प्रतियोगिता देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे,जैसे-जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी,दर्शकों की संख्या भी बढ़ती गई,आयोजकों द्वारा कार्यक्रम के सफल एवं व्यवस्थित संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं, प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान समिति के सदस्य आयोजन की व्यवस्थाओं में सक्रिय रहे।

रोमांचक मुकाबले में जनकपुर ने मारी बाजी-दही हांडी प्रतियोगिता में सभी टीमों ने जीत के लिए जमकर प्रयास किया, कई रोमांचक प्रयासों के बाद जनकपुर की टीम ने शानदार सामूहिक प्रदर्शन करते हुए दही हांडी फोड़कर प्रथम स्थान हासिल किया,विजेता जनकपुर टीम को आयोजन समिति की ओर से 25 हजार रुपए नगद पुरस्कार एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में शामिल अन्य पांच टीमों का भी उत्साहवर्धन करते हुए उन्हें 2-2 हजार रुपए की सांत्वना राशि प्रदान की गई, विजेता टीम के दही हांडी फोड़ते ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों और जयकारों के साथ खुशी का इजहार किया। युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला।

नीलेश मिश्रा की अगुवाई में हुआ आयोजन-पूरे आयोजन के समन्वय और संचालन में नगर पंचायत उपाध्यक्ष नीलेश मिश्रा की अगुवाई में कृष्णजन्मोत्सव समिति की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई,प्रतियोगिता में शामिल होने वाली टीमों से संपर्क एवं समन्वय, कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था,मंच संचालन, सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित विभिन्न तैयारियों को लेकर समिति के सदस्यों ने लगातार कार्य किया। आयोजन को सफल बनाने में ओम प्रकाश सोनी,दीपक सोनी,रोशन गुप्ता,भरत गुप्ता,अमित केवट,अतुल नामदेव,सोनू,धर्मेंद्र पटेल,आशीष पटेल,शिवाकांत दुबे,धीर रवानी,कपिल गुप्ता (भांचा),अनिल केवट,अंकित दाहिया,दिनेश दीवान,अक्षत मिश्रा,अनिल गुप्ता सहित कृष्णजन्मोत्सव समिति के सभी सदस्यों एवं सहयोगियों का विशेष योगदान रहा।

धार्मिक परंपरा के साथ युवाओं को जोड़ने की पहल-कृष्णजन्मोत्सव समिति जनकपुर ने बताया कि दही हांडी प्रतियोगिता आयोजित करने का उद्देश्य भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव की परंपरा को उत्साह और उल्लास के साथ मनाने के साथ-साथ क्षेत्र के युवाओं एवं आम नागरिकों को धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से जोड़ना है,समिति के अनुसार ऐसे आयोजन सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के साथ क्षेत्रवासियों को एक मंच पर लाने का काम करते हैं,प्रतियोगिता में विभिन्न गांवों की टीमों की सहभागिता ने भी आपसी भाईचारे और सामूहिक सहभागिता को मजबूत किया।

सभी सहयोगियों के प्रति जताया आभार-कृष्णजन्मोत्सव समिति जनकपुर ने दही हांडी प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों,कलाकारों,कार्यकर्ताओं,सहयोगियों और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने वाले जनकपुर वासियों के प्रति आभार व्यक्त किया,देर रात तक चले आयोजन के सफल समापन के साथ जनकपुर में कृष्ण जन्मोत्सव का उत्साह और उल्लास देखने को मिला,दही हांडी प्रतियोगिता ने जहां युवाओं के जोश और सामूहिक कौशल को मंच दिया,वहीं धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक उत्सव के माध्यम से पूरे क्षेत्र को एक सूत्र में जोड़ने का संदेश भी दिया।

राष्ट्रीय सम्मान से गौरवान्वित हुआ कोरिया,डीईओ जितेंद्र गुप्ता का शिक्षक कांग्रेस ने किया अभिनंदन

निपा अवार्ड से सम्मानित होने पर जिला शिक्षा अधिकारी को पुष्पगुच्छ एवं शाल भेंटकर दी बधाई

-संवाददाता-
बैकुण्ठपुर, 10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निपा अवार्ड से सम्मानित कोरिया जिले के जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता का छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस, कोरिया द्वारा अभिनंदन किया गया। छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश पाण्डेय के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय,बैकुण्ठपुर पहुंचे, इस दौरान श्री गुप्ता को पुष्पगुच्छ एवं शाल भेंटकर राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त सम्मान के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी गईं,इस अवसर पर शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि जिला शिक्षा अधिकारी को राष्ट्रीय स्तर पर मिला सम्मान केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं है,बल्कि यह कोरिया जिले के शिक्षकों और शिक्षा जगत के लिए भी गौरव का विषय है,उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना अन्य शिक्षकों के लिए भी प्रेरणादायी है।

अभिनंदन कार्यक्रम में भूपेंद्र पाल,शशि भूषण पाण्डेय, रामसिंह पैकरा,जितेंद्र साहू,शिव प्रताप सिंह,सुरेन्द्र राजवाड़े,मुकेश गुप्ता,सुदीप चौबे,संदीप शुक्ला,टिकेश्वर साहू,प्रखर श्रीवास,जे.पी. साहू,राकेश त्रिपाठी,आयुष गुप्ता एवं श्वेता सोनी सहित अनेक शिक्षक एवं संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे,शिक्षक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में जिले की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलना कोरिया के लिए गौरव की बात है,ऐसे सम्मान से शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों को बेहतर कार्य करने और विद्यार्थियों के हित में निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा मिलती है,छत्तीसगढ़ शिक्षक कांग्रेस,कोरिया ने जिला शिक्षा अधिकारी जितेंद्र गुप्ता को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त इस सम्मान के लिए बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त...ओवरलोड वाहनों पर कसा शिकंजा

मानपुर चौक और छत्तीसगढ़ ढाबा के आसपास चला संयुक्त जांच अभियान,एक्सल उठाकर चल रहे भारी वाहनों पर भी कार्रवाई,45 हजार रुपए का शमन शुल्क वसूला

-संवाददाता-
सूरजपुर, 10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने ओवरलोड एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है, कलेक्टर रेना जमील के निर्देश पर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम ने मानपुर चौक एवं छत्तीसगढ़ ढाबा के आसपास सघन वाहन जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान विशेष रूप से ओवरलोड वाहनों तथा एक्सल उठाकर संचालित किए जा रहे भारी वाहनों को जांच के दायरे में लिया गया, टीम ने मौके पर वाहनों के आवश्यक दस्तावेज,निर्धारित भार क्षमता,वाहन की स्थिति तथा यातायात नियमों से संबंधित अन्य मानकों की जांच की,जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए ई-चालान जारी किए गए,अभियान में विभिन्न वाहनों से लगभग 45 हजार रुपए का शमन शुल्क वसूल किया गया।

ओवरलोडिंग पर विशेष नजर-सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान अधिकारियों ने ओवरलोड वाहनों पर विशेष ध्यान दिया। निर्धारित क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले भारी वाहनों से सड़क पर दुर्घटना का खतरा बढ़ने के साथ-साथ सड़क की स्थिति पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसी को देखते हुए जांच टीम द्वारा वाहनों की भार क्षमता और वास्तविक भार की जांच की गई, इसके साथ ही एक्सल उठाकर चलने वाले भारी वाहनों की भी जांच की गई,नियमों के विपरीत वाहन संचालन पाए जाने पर संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

नियम तोड़ने वालों पर ई-चालान-संयुक्त जांच अभियान के दौरान जिन वाहनों में यातायात नियमों का उल्लंघन पाया गया, उनके विरुद्ध ई-चालान की कार्रवाई की गई, अधिकारियों ने वाहन चालकों को स्पष्ट रूप से समझाइश दी कि निर्धारित भार क्षमता से अधिक माल परिवहन न करें और वाहन को नियमों के अनुरूप ही संचालित करें, जांच के दौरान कार्रवाई के साथ-साथ वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया,उन्हें बताया गया कि यातायात नियम केवल चालान से बचने के लिए नहीं, बल्कि वाहन चालक सहित सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं।

दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए लगातार अभियान-जिला प्रशासन द्वारा सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को प्राथमिकता देते हुए वाहनों की नियमित जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है, प्रशासन का उद्देश्य नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई करने के साथ ही वाहन चालकों में यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता बढ़ाना भी है, अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में भी आवश्यकता के अनुसार ऐसे जांच अभियान जारी रहेंगे तथा ओवरलोडिंग, लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

वाहन चालकों से नियमों का पालन करने की अपील-जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे वाहन चलाते समय निर्धारित भार क्षमता का पालन करें और वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज अपने साथ रखें,साथ ही सड़क पर वाहन चलाते समय गति,सुरक्षा और यातायात नियमों का विशेष ध्यान रखें,प्रशासन ने कहा कि सड़क सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है, वाहन चालकों का जिम्मेदार व्यवहार न केवल उनकी स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करता है,बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के जीवन की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

भैयाथान में 316 गर्भवती माताओं की हुई स्वास्थ्य जांच

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर आयोजित,38 महिलाओं की सोनोग्राफी और 26 हाई रिस्क प्रेगनेंसी के रूप में चिन्हित

-संवाददाता-
सूरजपुर, 10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विकासखंड भैयाथान में विशेष स्वास्थ्य जांच अभियान आयोजित किया गया, कलेक्टर रेना जमील के मार्गदर्शन में आयोजित इस अभियान में बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं की जांच कर उनके स्वास्थ्य की स्थिति का आकलन किया गया। स्वास्थ्य शिविर में कुल 316 गर्भवती माताओं एवं महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई, जांच के दौरान चिकित्सकीय आवश्यकता के आधार पर 38 गर्भवती महिलाओं की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैयाथान में सोनोग्राफी कराई गई,इसके माध्यम से गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भस्थ शिशुओं के स्वास्थ्य की आवश्यक जांच की गई।

26 महिलाएं हाई रिस्क प्रेगनेंसी के रूप में चिन्हित-स्वास्थ्य जांच के दौरान 26 गर्भवती माताओं को हाई रिस्क प्रेगनेंसी के रूप में चिन्हांकित कर पंजीकृत किया गया,इन महिलाओं को विशेष चिकित्सकीय निगरानी में रखने के साथ आवश्यक परामर्श एवं उपचार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है,स्वास्थ्य विभाग द्वारा हाई रिस्क प्रेगनेंसी के मामलों में नियमित फॉलोअप और चिकित्सकीय निगरानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, ताकि गर्भावस्था के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित जटिलताओं की समय रहते पहचान कर आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा सके।

समय पर जांच और जोखिम की पहचान पर जोर-प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की नियमित स्वास्थ्य जांच,आवश्यक परीक्षण, जोखिम की पहचान और समय पर उपचार सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है,शिविर के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक परामर्श भी दिया गया। साथ ही उन्हें गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच कराने और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने के लिए जागरूक किया गया, अभियान के तहत हाई रिस्क के रूप में चिन्हित महिलाओं को सामान्य गर्भवती महिलाओं की तुलना में अधिक सतर्क चिकित्सकीय निगरानी में रखने की व्यवस्था की गई है।

इससे किसी भी संभावित स्वास्थ्य जोखिम की समय रहते पहचान और प्रबंधन में मदद मिल सकेगी,जिले में इस तरह के स्वास्थ्य अभियानों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं तक आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने तथा सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है।

टेट अनिवार्यता के कारण पदोन्नति से वंचित हो रहे शिक्षकों की राहत की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर, 10 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग के सहायक शिक्षक/शिक्षक संवर्ग में कार्यरत शिक्षकों ने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) की अनिवार्यता के कारण पदोन्नति से वंचित हो रहे शिक्षकों को राहत देने की मांग की है। इस संबंध में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के नाम संयुक्त संचलक को ज्ञापन सौंपकर पदोन्नति प्रक्रिया वरिष्ठता के आधार पर करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि आरटीई एक्ट-2009 लागू होने से पहले से ही कई शिक्षक विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। नियुक्ति के समय इन शिक्षकों के पास निर्धारित शैक्षणिक एवं व्याव सायिक योग्यताएं थीं और विभागीय प्रक्रिया के तहत ही उनकी नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति के बाद से शिक्षक लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में उनकी सेवा अवधि,वरिष्ठता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए पदोन्नति का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान में टीईटी की अनिवार्यता के कारण वर्षों से सेवा दे रहे कई शिक्षक पदोन्नति के अधिकार से वंचित होने की स्थिति में हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी अनिवार्यता के संबंध में शिक्षकों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त अवसर दिए जाने की बात कही गई है। शिक्षकों ने मांग की है कि जब तक टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध नहीं कराया जाता,तब तक केवल टीईटी उत्तीर्ण नहीं होने के आधार पर शिक्षकों को पदोन्नति से वंचित न किया जाए। साथ ही पदोन्नति प्रक्रिया में वरिष्ठता, सेवा अवधि और अनुभव को भी ध्यान में रखा जाए।

C M Y K

श्रीदेवी से लेकर मीनाक्षी शेषाद्री तक,2026 में भी ट्रेंड कर रहा है इन हसीनाओं का 80 दशक का रेट्रो लुक

सोशल मीडिया पर वायरल 80 दशक लुक ट्रेंड हिंदी सिनेमा की इन अभिनेत्रियों से प्रेरित माना जा रहा है। आज के समय में सोशल मीडिया पर एआई की मदद से 80 दशक के लुक वाला ट्रेंड जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। सोशल मीडिया को खोलते हुए हर दूसरी तस्वीर में कोई न कोई शख्स 80 दशक के रेट्रो लुक में नजर आ रहा है। इस मामले में हिंदी सिनेमा की उस दौर की अभिनेत्रियों के लुक की डिमांड काफी देखने को मिल रही हैं, जिन्होंने 1980 के दशक में अपने स्टाइल और फैशन से इंडस्ट्री में ग्लैमर्स की तड़का लगाया था। तो 80 दशक की वो कौन-कौन सी एक्ट्रेसेज हैं, जिनके लुक एआई के 80 दशक वायरल ट्रेंड में छाए हुए हैं।

80 दशक की स्टाइल आइकॉन एक्ट्रेसेज

70 के दशक की समाप्ति के बाद हिंदी सिनेमा की रूप रेखा बड़ी तेजी से बदली। फिल्मों का सार चेंज होने लगा और कई अभिनेत्रियां ऐसी रहीं, जिनकी बोल्डनेस ने इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इसके अलावा तमाम हसीनाएं ऐसी भी रही, जिन्होंने अपने स्टाइलिश लुक से हर किसी को इंप्रेस किया था। बात की जाए 80 के दशक की बी टाउन की टॉप स्टाइलिश एक्ट्रेसेज की लिस्ट के बारे में तो वह इस प्रकार हैं- रेखा,टीना मुनीम,किमी काटकर,सोनम,माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री,श्रीदेवी,परवीन बाबी,कल्पना अय्यर, इनके अलावा कई अदाकाराएं ऐसी रहीं, जिनते लुक 80 के दशक में सिनेमाई गलियारे में चर्चा में बने रहे थे। अब करीब 46 साल बाद एआई के जमाने में इन सभी हसीनाओं के विटेंज लुक को सोशल मीडिया पर तमाम लोग कॉपी कर रहे हैं। इस मामले में बॉलीवुड की नई एक्ट्रेसेज भी पीछे नही रहीं हैं।

बॉलीवुड पर चढ़ा 80 दशक ट्रेंड का खुमार

सोशल मीडिया के वायरल 80 दशक लुक ट्रेंड का खुमार हिंदी सिनेमा की मौजूदा समय की अभिनेत्रियों पर भी खूब चढ़ता दिख रहा है। इस मामले कियारा आडवाणी और परिणीति चोपड़ा जैसी कई एक्ट्रेसेज के नाम शामिल हैं, जिन्होंने इस वायरल ट्रेंड को फॉलो कर अपनी-अपनी तस्वीरें शेयर की हैं।

सिनेमा का यादगार दौर 1980

मालूम हो कि जिस तरह से 90 के दशक को हिंदी सिनेमा का सुनहरा दौर माना जाता है। ठीक उसी प्रकार 80 का दशक भी बॉलीवुड के लिए यादगार रहा था। श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी कई बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेज ने इस एरा में अपनी धाक जमाई थी। दूसरी तरफ अनिल कपूर, आमिर खान और जैकी श्रॉफ जैसे कई अभिनेताओं ने 1980 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था।

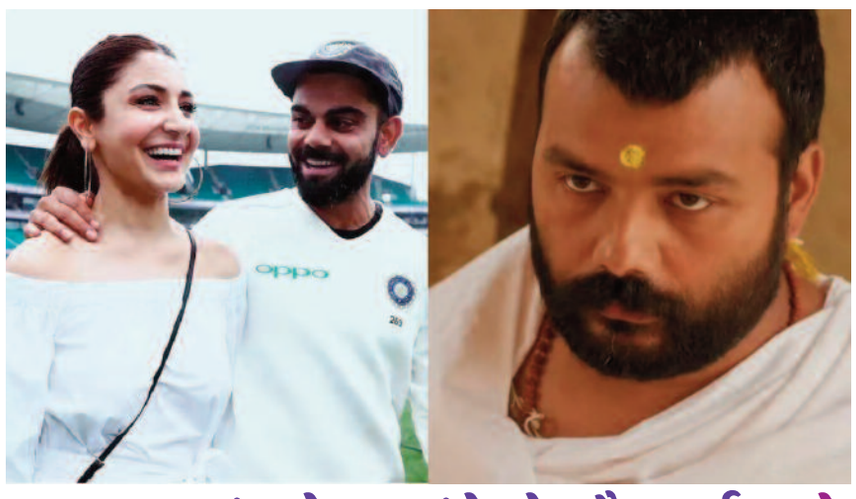

हनुमान अंश के आएंगे दो और पार्ट,दूसरे में होगी विराट-अनुष्का की एंट्री?

हनुमान अंश' अब ब्लॉकबस्टर फिल्म बन चुकी है। फिल्म की बंपर कमाई अब भी जारी है और इसी बीच मेकर्स ने इसके अगले पार्ट का ऐलान भी कर दिया है। मेकर्स ने आगे की कहानी को लेकर पत्ते खोले हैं।
बॉलीवुड फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों का खूब ध्यान खींच रही है। रिलीज के बाद से ही फिल्म की कमाई को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और हर गुजरते दिन के साथ मेकर्स के हौसले भी बढ़ रहे हैं। फिल्म को मिल रहे रिस्पॉन्स के बीच अब दर्शकों की नजर इसके अगले पार्ट पर टिक गई है। खास बात यह है कि फिल्म की कहानी को शुरुआत से ही एक फिल्म तक सीमित नहीं रखा गया था। मेकर्स ने इसे तीन फिल्मों वाली एक बड़ी सीरीज के तौर पर तैयार करने का प्लान बनाया था। फिल्म की निर्माता नम्रता सिंह ने अब इस पूरी योजना से पर्दा उठाया है।

शुरुआत से ही ट्रिलॉजी बनाने का था इरादा

हाल ही में बॉलीवुड हंगामा को दिए एक इंटरव्यू में नम्रता सिंह ने फिल्म के भविष्य को लेकर कई अहम जानकारियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि 'हनुमान अंश' को बनाते समय ही टीम के दिमाग में इसकी पूरी ट्रिलॉजी मौजूद थी। यानी फिल्म की कहानी को तीन अलग-अलग हिस्सों में दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी पहले से थी। नम्रता के मुताबिक पहले पार्ट में महाराज जी के जीवन के शुरुआती वर्षों और उनके कैंची धाम पहुंचने तक की यात्रा को केंद्र में रखा गया है। इसके बाद कहानी का दूसरा अध्याय कैंची धाम और उससे जुड़े आध्यात्मिक पहलुओं पर आगे बढ़ेगा। वहीं तीसरी फिल्म का दायरा भारत से बाहर तक जाएगा और नीम करोली बाबा के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव की कहानी को सामने लाएगा।

अभी नहीं लिखी गई है दूसरे और तीसरे पार्ट की स्क्रिप्ट

फैंस भले ही फिल्म के दूसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हों, लेकिन निर्माता ने साफ कर दिया है कि फिलहाल इसकी स्क्रिप्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है। टीम को आगे की कहानी को सही तरीके से विकसित करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। नम्रता ने बताया कि पिछले करीब डेढ़ साल से टीम लगातार काम कर रही है और इस दौरान उन्हें छुट्टी तक नहीं मिली। इसी वजह से अब मेकर्स ने काम दोबारा शुरू करने से पहले करीब 90 दिनों का ब्रेक लेने का फैसला किया है। हालांकि, कहानी की बड़ी रूपरेखा टीम के दिमाग में पहले से मौजूद है। ऐसे में माना जा रहा है कि ब्रेक के बाद स्क्रिप्टिंग का काम तेजी से आगे बढ़ सकता है।

महज 22 दिनों में पूरी हुई थी शूटिंग

'हनुमान अंश' के निर्माण से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी भी सामने आई है। नम्रता सिंह ने बताया कि फिल्म के लेखक विशाल चतुर्वेदी ने पहले पार्ट की स्क्रिप्ट एक महीने से भी कम समय में तैयार कर दी थी। इसके बाद फिल्म की शूटिंग भी बेहद कम समय में पूरी कर ली गई। मेकर्स के मुताबिक पूरी फिल्म की शूटिंग सिर्फ 22 दिनों में खत्म हुई। इसमें दो दिन मुंबई में शूटिंग हुई, जबकि बाकी हिस्सा चित्रकूट में फिल्माया गया। चित्रकूट जैसे लोकेशन पर शूट करना आसान नहीं था, लेकिन टीम ने चुनौतियों के बावजूद शूटिंग पूरी की।

क्या दूसरे पार्ट में नजर आएंगे बड़े सितारे?

नीम करोली बाबा का प्रभाव सिर्फ आम श्रद्धालुओं तक सीमित नहीं रहा है। देश और विदेश की कई चर्चित हस्तियां भी उनसे जुड़ाव रखती हैं। इनमें हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स के अलावा विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे नाम भी शामिल हैं। जब नम्रता सिंह से पूछा गया कि क्या ऐसी हस्तियां फिल्म के अगले पार्ट में कैमियो करती नजर आ सकती हैं तो उन्होंने बताया कि टीम ने कुछ लोगों से संपर्क किया है। उन्होंने यह भी कहा कि इनमें से कुछ लोग फिल्म के बारे में पहले से जानते थे। हालांकि, किसी खास सेलिब्रिटी के कैमियो को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

तीसरे पार्ट में दिखेगा नीम करोली बाबा का ग्लोबल प्रभाव

ट्रिलॉजी का सबसे बड़ा दायरा तीसरी फिल्म में देखने को मिल सकता है। नम्रता सिंह ने बताया कि वह और लेखक विशाल चतुर्वेदी लंबे समय से महाराज जी से जुड़े हुए हैं। नम्रता करीब 14 साल से, जबकि विशाल लगभग 20 वर्षों से उनके प्रति आस्था रखते हैं। मेकर्स का उद्देश्य सिर्फ एक संत की कहानी दिखाना नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक विरासत को दुनिया के सामने लाना है। तीसरे पार्ट में इस बात पर फोकस किया जाएगा कि नीम करोली बाबा की शिक्षाओं और आध्यात्मिक प्रभाव ने भारत के बाहर किस तरह लोगों को प्रभावित किया।

रहस्यमयी दुल्हन पर आधारित फिल्म,'नय्यी नवेली' का टीजर आउट

यामी गौतम की 'नय्यी नवेली' का टीजर रिलीज हो गया है। फैंटेसी-कॉमेडी फिल्म में यामी रहस्यमयी नई दुल्हन बनी हैं, जिनके घर आते ही अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। फिल्म 16 अक्टूबर को रिलीज होगी।
बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम धर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'नय्यी नवेली' को लेकर चर्चा में हैं। फिल्म का टीजर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है और इसे देखकर कहानी को लेकर दर्शकों की उत्सुकता बढ़ गई है। टीजर में यामी एक नई-नवेली दुल्हन के किरदार में नजर आ रही हैं, लेकिन उनका किरदार जितना सामान्य दिखाई देता है, कहानी उतनी ही रहस्यमयी लगती है। उनके शादी के बाद घर में कदम रखते ही कुछ ऐसी घटनाएं शुरू होती हैं,जो धीरे-धीरे पूरे माहौल को अजीब और मजेदार बना देती हैं। फिल्म को फैंटेसी,कॉमेडी और एडवेंचर का दिलचस्प मिश्रण बताया जा रहा है।

नई दुल्हन या कुछ और? यामी के किरदार ने बढ़ाया सस्पेंस

'नय्यी नवेली' के टीजर की सबसे खास बात यामी गौतम का किरदार है। पहली झलक में वह एक बिल्कुल साधारण नई दुल्हन की तरह नजर आती हैं,लेकिन कहानी आगे बढ़ते ही उनके आसपास होने वाली घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं। ऐसा लगता है कि उनके किरदार में कोई ऐसा राज छिपा है, जिसका खुलासा फिल्म में धीरे-धीरे होगा। मेकर्स ने टीजर में कहानी की ज्यादा जानकारी देने से परहेज किया है। इसके बजाय दर्शकों को उन परिस्थितियों की झलक दिखाई गई है,जिनके बीच फिल्म के किरदार फंसते नजर आते हैं। घर-परिवार का माहौल,अचानक पैदा होने वाली उलझनें और यामी की मौजूदगी से बढ़ता हुआ बवाल टीजर को मजेदार बनाता है। यही वजह है कि अभी यह साफ नहीं है कि यामी सिर्फ एक अनोखी दुल्हन हैं या उनके किरदार का कनेक्शन किसी अलौकिक दुनिया से भी है।

फैंटेसी के साथ कॉमेडी का तड़का

फिल्म की कहानी में फैंटेसी को महत्वपूर्ण जगह दी गई है। हालांकि यह केवल एक रहस्यमयी कहानी नहीं लगती,बल्कि इसमें कॉमेडी और पारिवारिक रिश्तों को भी काफी अहमियत दी गई है। टीजर में जिस तरह एक के बाद एक अजीब परिस्थितियां सामने आती हैं,उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म का मनोरंजन काफी हद तक इन्हीं घटनाओं से पैदा होगा। फिल्म का निर्देशन बालाजी मोहन ने किया है। इसकी कहानी और स्क्रीनप्ले पर हिमांशु शर्मा और दिव्य निधि शर्मा ने काम किया है। फिल्म का निर्माण आनंद एल राय और हिमांशु शर्मा ने मिलकर किया है। यानी इस प्रोजेक्ट के पीछे बॉलीवुड की ऐसी टीम है, जो अलग तरह की कहानियों को पर्दे पर पेश करने के लिए जानी जाती है।

यामी के साथ नजर आएगी बड़ी स्टारकास्ट

'नय्यी नवेली' में यामी गौतम के अलावा आदिनाथ एम कोठारे,अनुराग ठाकुर,सुनीता राजवार,मीता वशिष्ठ,आदित्य कुलश्रेष्ठ,सुस्मिता मुखर्जी,सोनल झा,सुनील सिन्हा,प्रतीक पचौरी,अक्षत सिंह,बबीता पांडे और अजय पाल समेत कई कलाकार दिखाई देंगे। फिल्म की कहानी को सपोर्ट करने में यह पूरी कास्ट अहम भूमिका निभाती नजर आएगी। इस फिल्म के साथ अमेजॉन एमजीएम स्टूडियो और कलर येलो भी जुड़े हैं। दोनों कंपनियां इसे सिनेमाघरों में रिलीज के लिए प्रस्तुत कर रही हैं। फिल्म को एक ऐसी फैमिली एंटरटेनर के तौर पर तैयार किया गया है, जिसे अलग-अलग उम्र के दर्शक साथ बैठकर देख सकें।

खेल समाचार

दिल्ली में होने वाली इंडिया बनाम अफगानिस्तान टी 20 आई सीरीज के पहले टी 20 आई मैच की बदलेगी तारीख?

नई दिल्ली,10 सितम्बर 2026। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाली टी 20 आई सीरीज को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली में होने वाली 3 मैचों की टी 20 आई सीरीज के पहले मुकाबले पर संकट के बादल मंडरा रहे थे,जिसको लेकर अब बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल,भारत और अफगानिस्तान के बीच टी 20 आई सीरीज का 13 सितंबर से आगाज होना है। इस बीच दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन को देखते हुए पहले मैच के आयोजन पर बड़ा संकट मंडराने लगा था, लेकिन अब दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी डीडीसीए ने मैच को लेकर तस्वीर साफ कर दी है। डीडीसीए ने कहा है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले पहले टी 20 आई मैच का आयोजन 13 सितंबर को ही होगा।
दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने एक्स पर जानकारी दी है कि अरुण जेटली स्टेडियम में 13 सितंबर को होने वाला भारत-अफगानिस्तान पहला टी20 आई मैच तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठक के बाद डीडीसीए को सभी जरूरी मदद और इंतजामों का भरोसा दिलाया गया है। मैच स्थगित नहीं होगा।

दिल्ली पुलिस ने क्यों की थी तारीख बदलने की मांग?

दरअसल, दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होना है। सम्मेलन में कई देशों के शीर्ष नेताओं और व्हीआईपी मेहमानों के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के सामने सुरक्षा के साथ-साथ ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। इसी वजह से दिल्ली पुलिस ट्रैफिक के डिप्टी कमिश्नर ने डीडीसीए को पत्र लिखकर भारत-अफगानिस्तान पहले टी 20 आई को किसी अन्य तारीख पर कराने का अनुरोध किया था। पुलिस का कहना था कि सम्मेलन के दौरान राजधानी में व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक इंतजाम लागू रहेंगे, जिससे मैच के आयोजन में अतिरिक्त चुनौतियां पैदा हो सकती हैं।

14 सितंबर को कराने की भी थी चर्चा

पुलिस की अपील के बाद ऐसी चर्चा भी शुरू हुई कि मुकाबले को एक दिन आगे बढ़ाकर 14 सितंबर को कराया जा सकता है। गणेश चतुर्थी के दिन मैच कराने का सुझाव भी सामने आया था। हालांकि, इस बदलाव पर कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी और डीडीसीए ने फिलहाल 13 सितंबर को ही मुकाबला कराने का ऐलान किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी 20 आई सीरीज के सभी मुकाबले अरुण जेटली स्टेडियम में होने हैं। पहला मैच 13 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर और तीसरा 17 सितंबर को खेला जाना है।

छत्तीसगढ़ शासन,वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी,धरमजयगढ़ वनमण्डल धरमजयगढ़ (छत्तीसगढ़)

//निविदा//

सर्व सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि वन मण्डल धरमजयगढ़ के काष्ठागार धरमजयगढ़ में राजसात वाहन / शासकीय वाहन जहाँ है जिसे स्थिति में है का दर्शित तिथि समय में अधोहस्ताक्षर कर्ता द्वारा निविदा किया जावेगाः-
1. निविदा स्थान- काष्ठागार धरमजयगढ़
2. निविदा दिनांक- 30.09.2026

छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग

अंतिम रूप से राजसात वाहन

क्र.	स्थल का नाम जहाँ वाहन रखी गई है।	संख्या	वाहन के प्रकार
1	वन परिक्षेत्र छाल	02	04 चक्का
3	वन परिक्षेत्र छाल	03	02 चक्का
4	निस्तार डिपो छाल	02	04 चक्का
6	वन परिक्षेत्र धरमजयगढ़	01	02 चक्का
7	काष्ठागार डिपो धरमजयगढ़	03	04 चक्का
8	सुश्रुत वन लैलूंगा	05	04 चक्का
9	सुश्रुत वन लैलूंगा	04	02 चक्का
10	नंदनझरिया बाकारूमा	03	04 चक्का
	योग :-	23	

टीप–
01. निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय से 29.09.2026 तक कार्यालयीन समय में रूपये 200/-नगद जमा कर पूर्ण आवेदन के साथ प्रस्तुत करने पर वनमण्डल धरमजयगढ़ से विस्तृत फार्म प्राप्त कर सकते है। निविदा खोलने की तिथि अवकाश हो या अधोहस्ताक्षर कर्ता शासकीय दौरे पर हो तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जावेगी ।
02. प्रथम निविदा असफल होने पर द्वितीय निविदा तिथि 08.10.2026 समय दोपहर 05.00 बजे तक निर्धारित किया जाता है ।

वनमण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

जी नंबर- 262703176/1

आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के दावेदार घोषित

नई दिल्ली,10 सितम्बर 2026। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने गुरुवार को अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवॉर्ड के लिए नॉमिनीज़ के नामों का ऐलान किया। महिलाओं के अवॉर्ड के लिए थाईलैंड की सुलीपोर्न लाओमी और नन्नापत कोंचारोएनकाई को आइल ऑफ़ मैन की कप्तान लुसी बार्नेट के साथ शॉर्टलिस्ट किया गया है। नए स्थान तलाशें बार्नेट, आइल ऑफ़ मैन की पहली ऐसी खिलाड़ी बन गई हैं जिन्हें आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ़ द मंथ अवॉर्ड की शॉर्टलिस्ट में जगह मिली है। थाईलैंड की सुलीपोर्न लाओमी ने इस महीने ओडीआईऔर टी20 आई दोनों में शानदार प्रदर्शन किया। 28 साल की इस लेग-स्पिनर ने ओडीआई में चार विकेट लिए, जिसमें पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ़ सीरीज़ के आखिरी मैच में 27 रन देकर तीन विकेट लेने वाला मैच जिताने वाला स्पेल भी शामिल था। इस जीत के साथ थाईलैंड ने सीरीज़ 3-0 से अपने नाम की। उन्होंने विमेंस एशिया कप टी 20 में भी अपना शानदार फ़ॉर्म जारी रखा और भारत के खिलाफ़ 26 रन देकर तीन विकेट लेने वाले बेहतरीन स्पेल के साथ टूर्नामेंट की शुरुआत की। उनकी टीम की साथी नन्नापत कोंचारोएनकाई ने भी बल्ले से लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए शॉर्टलिस्ट में जगह बनाई। वह पोर्ट मोरेस्बी में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ़ थाईलैंड की टी 20 आई सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं और इसके बाद हुई ओडीआई सीरीज़ में भी उन्होंने योगदान दिया।

ईशान किशन : दिलीप ट्रॉफी जीतकर रचा इतिहास

चेन्नई,10 सितम्बर 2026। गुरुवार को ईस्ट ज़ोन को उनका तीसरा दिलीप ट्रॉफी खिताब जिताने के बाद,भारत के इंटरनेशनल खिलाड़ी ईशान किशन ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में कप्तान के तौर पर अपना अजेय (बिना हारे) रहने का रिकॉर्ड और आगे बढ़ाया। साउथ ज़ोन के खिलाफ़ फ़ाइनल में किशन शानदार फ़ॉर्म में थे। उन्होंने दो पारियों में कुल 350 रन बनाए और अपनी घरेलू टीम को पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीत दिलाई। इस जीत के साथ,किशन ने फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में कप्तान के तौर पर बिना हारे रहने का अपना रिकॉर्ड 16 मैचों तक पहुंचा दिया है। उनका यह सिलसिला 2018 में शुरू हुआ था और अब यह नौवें साल में है।

कार्यालय अधिक्षण अभियंता

लोक निर्माण विभाग (भ/स) अम्बिकापुर ,मण्डल अम्बिकापुर (छ0ग0)

निविदा आमंत्रण तिथि -08.09.2026

ई-प्रोक्योरमेंट निविदा सूचना

01. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये Log in करें https://eproc.cgstate.gov.in
01. निविदा की विस्तृत जानकारी के लिये
02. संबंधित संभाग- सूरजपुर संभाग
03. स.क्रं. 01 - 'द' वर्ग एवं ऊपर ठेकेदार
04. ऑनलाईन निविदा डालने की अंतिम तिथि- 21.09.2026

सरल क्र.	एन.आई.टी. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में)
1	2	3	4
1	158	जिला सूरजपर के ग्राम तिलसिवा में आडिटोरियम भवन में आवश्यक निर्माण कार्य एवं विकासखण्ड सूरजपुर के ग्राम पंचायत तिलसिवा में मौजूदा सार्वजनिक और सामुदायिक भवन में अतिरिक्त कमरों और ऑडिटोरियम हॉल का निर्माण एवं बिजली वितरण एवं संरचना में सुधार कार्य । (प्रथम आमंत्रण)	35.84

अधीक्षण अभियंता
लोक निर्माण विभाग
अम्बिकापुर,मण्डल अम्बिकापुर

जी0नं0 -262703186/4

न्यायालय नायब तहसीलदार अम्बिकापुर-3 ,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /ब-121/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक अनिल कुमार सोनी आ. स्व. स्वामीनाथ सोनी, निवासी मायापुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 द्वारा अपने स्वामित्व की ग्राम मायापुर तहसील अम्बिकापुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 167/5 रकबा 0.012 हे0 भूमि को अनावेदिका पूनम गुप्ता पति अनिल गुप्ता निवासी मायापुर अम्बिकापुर तहसील अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के पास बिक्री करने की अनुमति हेतु आवेदन पत्र श्रीमान् कलेक्टर महोदय सरगुजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जो जांच प्रतिवेदनार्थ इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो सुनवाई दिनांक 17/09/2026 के पूर्व स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि अथवा अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
आज दिनांकः- 01/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा जारी ।

सील
नायब तहसीलदार
अंबिकापुर-3,सरगुजा

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर-2 ,जिला-सरगुजा,छ0ग0

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. /ब-121/2025-26

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मो0 फरीद शाह आ0 मो0 यासीन, व अन्य 03, निवासी ग्राम रनपुरखुर्द, तहसील अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ0ग0) के द्वारा छ0ग0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (रा0) अम्बिकापुर के समक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि आवेदकगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम रनपुरखुर्द स्थित भूमि कुल खसरा 04 कुल रकबा 0.440 हे0 आवेदकगण को उत्तराधिकार के आधार पर प्राप्त हुई है। जिसमें से खसरा नंबर 681 / 1 रकबा 0.093 हे0 त्रुटिवश वर्तमान राजस्व अभिलेखों में अनावेदक पूरन साय आ0 सन्त राम, व अन्य 01 के नाम पर दर्ज हो गया है। आवेदकगण द्वारा उक्त त्रुटि को सुधार खसरा नंबर 681/1 रकबा 0.039 हे0 अपने नाम पर दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है। जो जांच व प्रतिवेदन हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो पेशी दिनांक 28/09/2026 को न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समय सीमा के बाद प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा ।
आज दिनांक 08/09/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी ।

सील
अतिरिक्त तहसीलदार
अंबिकापुर-2,सरगुजा

जल संरक्षण और हर घर तक स्वच्छ पेयजल हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री साय

मार्च 2028 तक सभी जल संरचनाओं को पूर्ण करने के निर्देश,गुणवत्ता और समयबद्धता पर विशेष जोर

रायपुर,10 सितंबर 2026। जल संरक्षण केवल वर्तमान की आवश्यकता नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य से जुड़ा विषय है। प्रदेश में जल की प्रत्येक बूंद का संरक्षण हो और प्रत्येक परिवार को स्वच्छ पेयजल की सुविधा मिले, इस लक्ष्य के साथ राज्य सरकार जल संचय और जल जीवन मिशन के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जल संसाधन विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री साय ने जल संचय जन भागीदारी अभियान की जिलेवार प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो और निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक जल सुरक्षा की दिशा में काम किया जाए।

जनभागीदारी से मजबूत होगा जल संरक्षण अभियान

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जल संरक्षण को केवल शासकीय कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए इसे जनभागीदारी का व्यापक अभियान बनाया जाना चाहिए। वर्ष 2025-26 में प्रदेश के अनेक जिलों ने जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत उल्लेखनीय कार्य किए हैं। अब सभी जिलों को अपने निर्धारित लक्ष्य से आगे बढ़कर बेहतर परिणाम के लिए प्रयास करना होगा। मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से अभियान की जिलेवार प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने कोरिया, धमतरी राजनांदगांव सहित अन्य जिलों में जल संरक्षण की दिशा में किए गए कार्यों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के अनुभव और कार्यप्रणाली का लाभ अन्य जिलों को भी मिलना चाहिए, ताकि पूरे प्रदेश में जल संरक्षण के प्रयासों को समान गति मिल सके। जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश कुमार टोप्पो ने बैठक में बताया कि जल संचय जन भागीदारी अभियान में छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी है। उन्होंने बताया कि सभी जिलों को इस वर्ष निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के साथ उससे बेहतर प्रदर्शन के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ के जल संरक्षण मॉडल को राष्ट्रीय मंच पर मिली पहचान

मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण के प्रयास तभी दीर्घकालिक परिणाम देंगे, जब शासन के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। जनभागीदारी की इसी शक्ति के माध्यम से छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में स्थायी रूप से स्थापित करना है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत सभी जिलों के नोटिफाइड नक्शे तैयार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। अभियान की मुख्य सचिव स्तर पर नियमित समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में जल संरक्षण से जुड़े कार्यों की सतत मॉनिटरिंग की जाए तथा जहां भी कमियां सामने आएं, उन्हें तत्काल दूर किया जाए। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता न हो और सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरे हों।

हर घर तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाना हमारा लक्ष्य : मुख्यमंत्री साय ने बैठक में जल जीवन मिशन की प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रत्येक परिवार तक नल के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। प्रदेश के प्रत्येक घर तक पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जल जीवन मिशन के शेष कार्यों को मिशन मोड में आगे बढ़ाया जाए। सभी कलेक्टर अपने-अपने जिलों में इसकी नियमित समीक्षा करें और जहां भी प्रशासनिक, तकनीकी अथवा क्रियान्वयन संबंधी बाधाएं आ रही हैं, उनका तत्काल समाधान करते हुए कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा कराएं। उन्होंने कहा कि केवल अधोसंरचना निर्माण ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि योजनाओं का वास्तविक लाभ परिवारों तक पहुंचे और लोगों को नियमित रूप से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। इसके लिए जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री साय ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूर्ण हो चुके कार्यों के भुगतान की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन कार्यों को निर्धारित मापदंड और गुणवत्ता के अनुरूप पूर्ण किया जा चुका है, उनका भुगतान समय पर सुनिश्चित किया जाए।

जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए कांग्रेस चला रही हस्ताक्षर अभियान

रायपुर,10 सितंबर 2026। जिला कांग्रेस कमेटी ने जेलों में बंद आदिवासियों की रिहाई की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की है। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष हरीश कवासी लखमा ने कोंटा जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिलमपल्ली के आश्रित ग्राम तिम्मापुरम से इस अभियान का शुभारंभ किया। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष बेको हूंगा ने कहा कि नक्सल मामलों में बंद आदिवासियों के प्रकरणों की निष्पक्ष समीक्षा होनी चाहिए। निर्दोष पाए जाने वाले व्यक्तियों को शीघ्र न्याय और रिहाई मिलनी चाहिए, ताकि उनके परिवारों को हो रही आर्थिक व सामाजिक समस्याओं से राहत मिल सके।

गंभीर आरोप सिद्ध नहीं तो रिहाई हो...

जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने कहा...जिन आदिवासियों के विरुद्ध गंभीर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, उनके मामलों की समीक्षा कर उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने घोषणा की कि यह हस्ताक्षर अभियान विभिन्न गांवों में आयोजित कर जनसमर्थन जुटाया जाएगा तथा इस मुद्दे को शासन के समक्ष उठाया जाएगा।

गांव-गांव चलेगा अभियान...

आयोजकों के अनुसार तिम्मापुरम से शुरू किया गया यह अभियान जिले के अन्य गांवों में भी चलाया जाएगा और हस्ताक्षरों के माध्यम से मांग पत्र शासन को सौंपा जाएगा।

बस्तर की जेलों में 1200 से अधिक नक्सल बंदी

माओवादियों के साथ संगठन में काम करने के दौरान गिरफ्तार किए गए सैकड़ों नक्सल बंदी वर्तमान में बस्तर की जेलों में निरूद्ध हैं। इनमें अधिकांश बंदी केन्द्र सरकार के नक्सलमुक्त भारत के अभियान शुरू करने से पहले गिरफ्तार किए गए थे।

अधर समर्पण इधर रिहाई का इंतजार

एक ओर जहां हजारों की संख्या में शीर्ष नक्सल नेता व संगठन में विभिन्न कैडर के नक्सलियों ने समर्पण कर दिया और अब आजादी की सांस ले रहे हैं तो दूसरी ओर इनके ही साथी जिन्हें सुरक्षाबलों ने समर्पण के पहले गिरफ्तार किया था और जिनकी संख्या 12 सौ से अधिक है,वे जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। इन्हें आजादी की सांस लेने अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि वे न्यायिक हिरासत में हैं। इनमें ज्यादातर विचाराधीन हैं।

नक्सल मामलो के बंदियों का जेलवार आंकड़ा

आकंड़ों की बात करें तो सर्वाधिक नक्सल मामले में बंदी सेंट्रल जेल जगदलपुर में निरूद्ध हैं। इनमें बस्तर एवं कोंडागांव जिले के 425 पुरुष व 98 महिला समेत कुल 523 विचाराधीन बंदी हैं। जबकि नक्सल मामले में 24 सजायाफ्ता बंदी भी जगदलपुर की सेंट्रल जेल में हैं। इनमें से कुछ को न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा मिली है। इसके अलावा जिला जेल कांकेर के 41 पुरुष व 3 महिला बंदी, जिला जेल दंतेवाड़ा के 289 पुरुष बंदी,जिला जेल सुकमा के 172 पुरुष बंदी,उप जेल नारायणपुर के 68 पुरुष बंदी तथा उप जेल बीजापुर के 132 पुरुष बंदी समेत कुल 1252 सजायाफ्ता व विचाराधीन बंदी सेंट्रल जेल में निरूद्ध हैं।

पुलिस गिरफ्तारी के बाद युवक की इलाज के दौरान मौत,चांपा थाने का घेराव..

जांजगीर-चांपा,10 सितंबर 2026। चांपा थाना क्षेत्र में महुआ शराब से जुड़े मामले में गिरफ्तार एक युवक की इलाज के दौरान मौत के बाद माहौल गरमा गया। मेहंदीपारा निवासी शिव साहिस उर्फ गुल्लू को पुलिस ने शराब के मामले में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत की खबर सामने आते ही परिजनों और मोहल्लेवासियों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोग चांपा थाने पहुंचे और थाने का घेराव कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि गिरफ्तारी के दौरान युवक के साथ मारपीट की गई थी। उनका आरोप है कि पुलिस अभिरक्षा में रहने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया गया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद शिव साहिस को शासकीय बीडीएम अस्पताल चांपा में भर्ती कराया गया था। सुबह उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर किया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। युवक की मौत के बाद अब पूरे मामले में पुलिस की कार्रवाई और उसकी तबीयत बिगड़ने की परिस्थितियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

थाने के बाहर जुटी भीड़, कार्रवाई की मांग..

मौत की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में परिजन और स्थानीय लोग चांपा थाने पहुंच गए। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की। परिजनों की ओर से कथित तौर पर दो पुलिसकर्मियों को नौकरी से हटाने और उचित मुआवजा देने की मांग भी सामने आई है। स्थिति को देखते हुए स्थानीय जनप्रतिनिधि और अन्य लोग भी मौके पर पहुंचे। कुछ लोगों ने परिजनों और प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर मामला शांत कराने का प्रयास किया। वहीं प्रदर्शनकारी युवक की मौत की निष्पक्ष जांच और पुलिस की भूमिका स्पष्ट करने की मांग पर अड़े रहे।

रेट्रो अंदाज में दिखें सीएम..डिप्टी सीएम और स्पीकर 1980 के दशक जो सोशल मीडिया में हो रहा ट्रेंड क पड़े, हेयरस्टाइल,बैकग्राउंड तक सब कुछ बदला

रायपुर,10 सितंबर 2026। सोशल मीडिया पर इन दिनों लोग आज की तस्वीरों को 1980 के दशक के अंदाज में बदलकर साझा कर रहे हैं। फेसबुक पर चल रहे इस एट्रीज ट्रेंड में आम यूजर्स के साथ राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से जुड़े चेहरे भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय,उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा की तस्वीरें भी इस रेट्रो अंदाज में चर्चा में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने भी अपनी तस्वीर साझा की है।सरकार इस ट्रेंड में तस्वीरों के कपड़े, हेयरस्टाइल,चश्मे,बैकग्राउंड और कैमरा इफेक्ट को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि पूरा लुक 80 के दशक का लगे। खास बात यह है कि इसके लिए अब पुराने फोटो स्टूडियो या मुश्किल एडिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। एआई फोटो एडिटिंग टूल्स की मदद से कुछ निर्देश देकर मौजूदा तस्वीर को रेट्रो लुक दिया जा सकता है।

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू ने बढ़ाई चिंता...

122 एक्टिव मरीज,संक्रमितों की संख्या 344 के पार

रायपुर,10 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश के 24 जिलों में संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 344 हो गई है। इनमें 122 मरीज एक्टिव हैं और उनका इलाज जारी है। राजधानी रायपुर स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बना हुआ है। यहां अब तक 146 संक्रमित मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा दुर्ग और बिलासपुर में भी संक्रमण के मामले बड़ी संख्या में दर्ज किए गए हैं।

24 जिलों तक पहुंचा स्वाइन फ्लू का संक्रमण : छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का संक्रमण लगातार नए क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। अब तक प्रदेश के 24 जिलों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। कुल संक्रमितों की संख्या 344 तक पहुंचने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और

सतर्कता बढ़ा दी है। शहर और स्थानीय मार्गदर्शिका कुल मामलों में से 122 मरीज फिलहाल एक्टिव बताए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य विभाग संक्रमित मरीजों की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकता के अनुसार उपचार की व्यवस्था की जा रही है। राजधानी रायपुर में स्वाइन फ्लू का असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। जिले में अब तक 146 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। वहीं दुर्ग और बिलासपुर में 41-41 मरीज संक्रमित पाए गए हैं।

बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया है। लोगों से अपील की जा रही है कि फ्लू या वायरल संक्रमण से जुड़े लक्षणों को नजरअंदाज न करें। बुखार, खांसी, गले में खराश, शरीर में दर्द और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेना जरूरी है। समय पर जांच और उपचार से बीमारी की गंभीरता को कम करने में मदद मिल सकती है।

स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए सावधानी जरूरी

स्वाइन फ्लू संक्रमण के बीच लोगों को व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। भीड़भाड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतना और संक्रमण के लक्षण दिखाई देने पर दूसरों के संपर्क से बचना महत्वपूर्ण है। लक्षण होने पर बिना चिकित्सकीय सलाह के दवा लेने के बजाय डॉक्टर से संपर्क करना बेहतर है। खासतौर पर बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं वाले लोगों को फ्लू जैसे लक्षणों को लेकर अधिक सतर्क रहने की जरूरत होती है।

344 संक्रमित,122 एक्टिव केस

छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के 344 कुल मामले और 122 एक्टिव केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की निगरानी अहम हो गई है। रायपुर में सबसे अधिक मामले दर्ज होने के कारण राजधानी पर विशेष नजर बनी हुई है।

सीएम साय के नेतृत्व में देश का नया टेक्सटाइल हब बनेगा छत्तीसगढ़

रायपुर,10 सितंबर 2026। खनिज, इस्पात, ऊर्जा और कृषि आधारित उद्योगों के लिए पहचाना जाने वाला छत्तीसगढ़ अब टेक्सटाइल सेक्टर में भी नई संभावनाओं की ओर कदम बढ़ा रहा है। राज्य में परंपरागत वस्त्र उद्योग के साथ अब तकनीकी वस्त्र यानी टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है,जिसमें एग्रो टेक्सटाइल,मेडिकल टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन टेक्सटाइल और स्मार्ट टेक्सटाइल जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेष फोकस रखा गया है। तकनीकी वस्त्र सामान्य कपड़ों से अलग होते हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से किसी खास औद्योगिक, चिकित्सकीय, कृषि, निर्माण या तकनीकी जरूरत को पूरा करने के लिए किया जाता है। बदलती तकनीक के साथ इनका इस्तेमाल स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर खेती, सड़क निर्माण,भवन निर्माण,सुरक्षा और आधुनिक उद्योगों तक तेजी से बढ़ रहा है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों को निवेश और रोजगार से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में एग्रो टेक्सटाइल राज्य के लिए बड़ी संभावना बन सकता है। खेती में उपयोग होने वाली विशेष जालियां, फसल सुरक्षा सामग्री, शेड नेट, मिट्टी और नमी संरक्षण से जुड़ी टेक्सटाइल सामग्री सहित कई उत्पाद इस श्रेणी में आते हैं। अगर राज्य में इन उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा मिलता है तो इसका फायदा केवल टेक्सटाइल उद्योग को ही नहीं बल्कि किसानों और कृषि आधारित उद्यमों को भी मिल सकता है। स्थानीय स्तर पर उत्पादन होने से नई औद्योगिक इकाइयों और सप्लाई चेन के विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीकी वस्त्रों की मांग लगातार बढ़ रही है। अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले मास्क, विशेष गाउन, कैप, मेडिकल शीट, ड्रेसिंग सामग्री और अन्य सुरक्षा उत्पाद मेडिकल टेक्सटाइल का हिस्सा हैं। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के साथ मेडिकल टेक्सटाइल से जुड़ी विनिर्माण इकाइयों के लिए भी अवसर पैदा हो सकते हैं। यदि उत्पादन की पूरी श्रृंखला राज्य के भीतर विकसित होती है तो स्थानीय उद्योगों और एमएसएमई को नया बाजार मिल सकता है।

गरियाबंद में खाद चोरी के आरोपियों का अनोखा जुलूस,कंधे पर लादी वही बोरी और पुरे गांव में गाजे-बाजे के साथ घुमाया

गरियाबंद,10 सितंबर 2026। जिले के झोलाराव गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहां दो लोगों पर किसान के घर से खाद की बोरी चोरी करने का आरोप लगा। ग्रामीणों ने दोनों को कथित तौर पर पकड़ लिया और इसके बाद उन्हें पुलिस के हवाले करने के बजाय अनोखे तरीके से गांव में घुमाया गया। स्थानीय जानकारी के मुताबिक,दोनों युवकों पर किसान के घर से खाद की बोरी चोरी करने का आरोप है। ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ने के बाद उनके कंधों पर वही खाद की बोरियां लाद दीं। इसके बाद गाजे-बाजे के साथ दोनों को पूरे गांव में घुमाया गया। इस दौरान ग्रामीणों की भीड़ भी उनके साथ चलती नजर आई।

इस घटना की जो तस्वीर सामने आई है,उसमें कथित आरोपियों के कंधों पर खाद की बोरियां दिखाई दे रही हैं।

महंगाई भत्ते, एरियर्स और नियमितीकरण पर कर्मचारी नाराज,आज इंद्रावती भवन में प्रदर्शन

रायपुर,10 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ में लंबित मांगों को लेकर कर्मचारी और पेंशनर एक बार फिर सरकार के सामने अपनी आवाज उठाने जा रहे हैं। नियमित-अनियमित कर्मचारी, अधिकारी और पेंशनर आज नया रायपुर स्थित इंद्रावती भवन में सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे।

प्रदर्शन दोपहर 1 बजे गेट नंबर-3 के सामने होगा। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक, 'एक मांग, एक मंच' अभियान के तहत होने वाले इस प्रदर्शन में 55 से अधिक कर्मचारी संगठनों के वर्तमान और निवर्तमान प्रांताध्यक्ष शामिल होंगे।

महंगाई भत्ते और एरियर्स का मुद्दा प्रमुख : कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ते (महंगाई भत्ते) के भुगतान में देरी और एरियर्स लंबित रहने से कर्मचारियों और पेंशनरों में नाराजगी है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष करन सिंह अटेरिया ने सरकार पर कर्मचारियों और पेंशनरों की आर्थिक मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उनके अनुसार, 13 सितंबर 2025 को वित्त मंत्री ने वर्ष 2026 से केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की बात कही थी। कर्मचारी संगठन अब इस दिशा में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शन में अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण भी अहम मुद्दा रहेगा।

ठेका पद्धति और पुरानी पेंशन का मुद्दा : कर्मचारी संगठन स्वास्थ्य विभाग में ठेका पद्धति का विरोध भी कर रहे हैं। कर्मचारी नेता जितेंद्र सिंह ठाकुर का कहना है कि इससे पदोन्नति के अवसर और बेरोजगारों के हित प्रभावित हो रहे हैं। इसके अलावा नगरीय निकायों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग भी प्रदर्शन में उठाई जाएगी।

संगठनों का कहना है कि ठेका व्यवस्था के बजाय नियमित नियुक्तियों और कर्मचारियों के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

किन मांगों को लेकर प्रदर्शन?

1. केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता देने की मांग।
2. लंबित महंगाई भत्ते एरियर्स के भुगतान की मांग।
3. अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण का मुद्दा।
4. स्वास्थ्य विभाग में ठेका पद्धति की जगह नियमित नियुक्तियों की मांग।
5. नगरीय निकायों में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)